



सशस्त्र सेना झण्डा दिवस

स्मारिका

07 दिसम्बर 2019

उत्तर प्रदेश



150 वीं जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित

महात्मा गाँधी ने अपने व्यक्तिगत धर्म के परिपालन हेतु और अपनी अनन्त करुणा से प्रेरित होकर सैनिक की वर्दी 1900-1901 में 'बोअर युद्ध' और 1906 में 'जूलू रिवैलियन' में धारण की थी। इस युद्ध में गाँधी जी ने एक इण्डियन एम्बुलेन्स प्लाटून का गठन किया और घमासान युद्ध में हताहतों की सेवा की। उन्हें उनके अविचल शौर्य के लिए दो बार 'मेन्शन-इन-डिस्पैच' दिया गया तथा युद्ध के अन्त में उन्हें चार अन्य मेडल भी दिये गये थे। उनके इस महान कार्य का स्मरण हम सब सैनिकों को गौरवान्वित करता है।

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता



नायक जदुनाथ सिंह (म०)
वर्ष 1948, 1 राजपूत, 4 गार्ड्स



हवलदार अब्दुल हमीद (म०)
वर्ष 1965, 4 ग्रेनेडियर्स



Paramvir Chakra



कैप्टन मनोज पाण्डेय (म०)
वर्ष 1999, 11 गोरखा राइफल्स



सूबेदार योगेन्द्र सिंह यादव
वर्ष 1999, 18 ग्रेनेडियर्स


उत्तर प्रदेश के अशोक चक्र विजेता



कैप्टन जस राम सिंह,
1969, 16 राजपूत



Ashok Chakra




मेजर भूकान्त मिश्रा (म०)
वर्ष 1985, 15 कुमाऊं

उत्तर प्रदेश के पदक विजेताओं की संख्या

परमवीर चक्र-4	अशोक चक्र-4	सेना मेडल(वीरता)-519	परम विशिष्ट सेवा मेडल-73
महावीर चक्र-20	कीर्ति चक्र-19	मेन्शन-इन-डिस्पैच-97	अति विशिष्ट सेवा मेडल-128
वीर चक्र-90	शौर्य चक्र-88	उत्तम युद्ध सेवा मेडल-11	सेना मेडल (विशिष्ट)-42
		युद्ध सेवा मेडल-27	विशिष्ट सेवा मेडल-350

कुल पदक विजेता – 1,472



ले०क०र्नल हर्ष उदय सिंह गौड़ (म०)
वर्ष 1995, 10 बिहार रेजीमेंट



Ashok Chakra



नायक नीरज कुमार सिंह (म०)
वर्ष 2015, राजपूताना राइफल्स

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तर प्रदेश, लखनऊ



**सशस्त्र सेना झण्डा दिवस
2019**

निदेशक की कलम से

उत्तर प्रदेश सरकार का सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, लखनऊ स्थित अपने निदेशालय तथा जनपद मुख्यालयों में स्थित 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सेवारत सैनिकों के परिवारों तथा पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों तक पहुँचाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। देश में सभी राज्यों (कुल 33) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनपद हैं एवं पूर्व सैनिक, विधवाओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

हमारे देश ने अभी तक चार बड़े युद्धों (1947-1948, 1962, 1965, 1971) तथा अनेक अन्य युद्धों का सामना न केवल देश में अपितु विदेश में भी किया है, जिसमें हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य साहस व वीरता का परिचय देते हुये विजय हासिल की और देश का परचम ऊँचा किया है। अपने जीवन की परवाह किये बिना कठिन परिस्थितियों और दुर्गम स्थानों पर रहकर राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे सैनिक अपने प्राणों तक का बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शौर्य, पराक्रम एवं बहादुरी का परिचय देने के लिए उत्तर प्रदेश के शूरवीरों को 01 विक्टोरिया क्रॉस, 04 परमवीर चक्र, 04 अशोक चक्र तथा 1,464 अन्य वीरता और विशिष्ट पदकों से सम्मानित किया जा चुका है।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि की स्थापना पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु आम जनता से योगदान प्राप्त करने के उद्देश्य से 1949 में की गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को **सशस्त्र सेना झण्डा दिवस** मनाया जाता है।

एक वर्ष के अन्तराल पर झण्डा दिवस के अवसर पर पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। इसमें सैनिक कल्याण विभाग के सामान्य परिचय, इसके महत्वपूर्ण क्रियाकलापों तथा पूर्व सैनिकों के परिवारों, पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त विवरण संकलित किया गया है। निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास का यह प्रयास है कि आपके सम्मुख व्यक्तिगत एवं सामूहिक भाव विचार आकांक्षाओं और उपलब्धियों को प्रस्तुत करें जिनका अटूट सम्बन्ध सैनिकों और उनके परिवारों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य से जुड़ा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 01 अप्रैल 2017 से शहीद सैनिकों की वीरनारियों/आश्रित को शासकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने का निर्णय लिया है। वर्तमान सरकार द्वारा अलंकरण प्राप्त सैनिकों को मिलने वाली एक मुश्त नगद पुरस्कार तथा वार्षिकी की धनराशि में बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सस सहायता संस्थान एवं उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान में भी बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को रोजगार दिया जा रहा है।

पुस्तिका में विभिन्न सुविधाओं के विवरण का संकलन यद्यपि तत्सम्बन्धी नियमों/शासनादेशों के आधार पर यथासंभव शुद्धता से करने का प्रयास किया गया है, परन्तु इसे अधिकृत रूप से उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और जहाँ कहीं उक्त नियमों के आधार पर कोई कार्यवाही की जानी हो अथवा निर्णय लिया जाना हो वहाँ मूल शासनादेशों/नियमों का संदर्भ लिया जाना चाहिए।

आशा है कि यह पुस्तिका पूर्व सैनिकों के लिए उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगी। इसे और अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से इसमें सुधार हेतु सुझावों का स्वागत है।

निदेशक

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0
करियप्पा भवन, कैसरबाग, लखनऊ

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश



राज भवन
लखनऊ-226027

15 अक्टूबर, 2019

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' 7 दिसम्बर, 2019 के अवसर पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

युद्ध, शांति और दैवीय आपदाओं के समय अपने अप्रतिम शौर्य, त्याग, पराक्रम एवं बलिदान का परिचय देकर देश की सशस्त्र सेनाओं ने हमेशा ही मातृभूमि को गौरवान्वित किया है। 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' हमें अपने सैनिकों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं स्नेह व्यक्त करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। मैं सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि सभी लोग सैनिकों के प्रति आदर, सम्मान एवं अपनत्व प्रदर्शित करते हुए 'झण्डा निधि' में उदारतापूर्वक सहयोग करके सैनिक बन्धुओं, वीर नारियों तथा उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अपना सक्रिय योगदान दें।

मैं इस अवसर पर एक बार पुनः सशस्त्र सेनाओं के प्रति आदर एवं स्नेह प्रकट करते हुए इस दिवस के आयोजन की मंगलकामनाएं करती हूँ।

आनंदीबेन
(आनंदीबेन पटेल)

योगी आदित्यनाथ



मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

संदेश

संख्या-168/cm/can/2019

लोक भवन,
लखनऊ - 226001

दिनांक : 06 NOV 2019

मुझे यह जानकर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि सैनिक कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 को 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं सभी सशस्त्र सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीर नारियों और उनके आश्रितों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' हम सभी को सैनिकों के प्रति अपना आदर, स्नेह, कृतज्ञता एवं भावनात्मक लगाव प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। अपने जीवन की परवाह किये बिना कठिन परिस्थितियों और दुर्गम स्थानों पर रहकर राष्ट्र की संप्रभुता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे सैनिक अपने प्राणों तक का बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। शौर्य, पराक्रम एवं बहादुरी का परिचय देने के लिए उत्तर प्रदेश के शूर वीरों को 01 विक्टोरिया क्रॉस, 04 परमवीर चक्र, 04 अशोक चक्र तथा 1464 अन्य वीरता और विशिष्ट पदकों से सम्मानित किया जा चुका है।

सशस्त्र सेनाओं का युद्ध एवं शान्ति दोनों ही स्थितियों में अमूल्य रूप से देश सेवा करने का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की आन्तरिक सुरक्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं में प्रशासन की सहायता के लिए हमारे वीर सपूत सदैव तत्पर रहते हैं। भारत की विस्तृत सरहदों के सजग प्रहरी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

यह गौरव और सम्मान की बात है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में सर्वाधिक सैनिक उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। मैं राज्य के निवासियों का ध्यान उन शहीद परिवारों के प्रति भी आकृष्ट करना चाहूंगा जिनके स्वजनों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल 2017 से शहीद सैनिकों की वीर नारियों/आश्रित को शासकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने का निर्णय लिया है। वर्तमान सरकार द्वारा अलंकरण प्राप्त सैनिकों को मिलने वाली एक मुश्त नगद पुरस्कार तथा वार्षिकी की धनराशि में बढ़ोत्तरी की गई है।

इस गौरवशाली अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि सैनिकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता एवं स्नेह प्रदर्शित करते हुए 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' पर उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग करके सैनिकों के कल्याण में अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें।

(योगी आदित्यनाथ)

चेतन चौहान

मंत्री

होमगार्ड्स, सैनिक कल्याण,
प्रांतीय रक्षक दल एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग



(का) : 0522-2238080

(सी.एच.) : 0522-2213260

60-61, मुख्य भवन,

विधान भवन, लखनऊ

आवास : 12ए, गौतम पल्ली,

लखनऊ फोन : 0522-2238027

e-mail : ministerhg2019@gmail.com



दिनांक.....

संदेश

मैं 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' 07 दिसम्बर 2019 के शुभ अवसर पर सभी सेवारत तथा पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

हमारी सशस्त्र सेनाओं ने देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने में हमेशा अनुकरणीय साहस और देशभक्ति का प्रदर्शन किया है। "सशस्त्र सेना झण्डा दिवस" हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों को कृतज्ञता के साथ स्मरण करने तथा राष्ट्र की सेवा में उनके साहस और समर्पण को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुअवसर है।

उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा सैनिकों के आश्रितों के कल्याणार्थ कृत संकल्प हैं। राज्य सरकार ने 01 अप्रैल, 2017 से प्रदेश के शहीदों के एक आश्रित को शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्स सहायता संस्थान एवं उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान में भी बढ़ोत्तरी की गई है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को रोजगार दिया जा रहा है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा उनकी पत्नियों को प्रत्येक वर्ष जीवित प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को आदेशित किया गया है कि वह उनके सत्यापन के लिए पूर्ण सहयोग दें और कोई असुविधा नहीं होने दें।

मैं 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' की सफलता के लिए मंगल कामना करता हूँ, साथ ही समस्त प्रदेश वासियों से अपील करता हूँ कि वे उदारतापूर्वक "झण्डा निधि" में आर्थिक सहयोग देकर सशस्त्र सेनाओं के साथ अपनी एकात्मता का परिचय देते हुए गौरव का अनुभव करें।


(चेतन चौहान)

राजेन्द्र कुमार तिवारी
आई.ए.एस.



लोक भवन
लखनऊ-226001
ई-मेल : csup@nic.in
फोन : (0522)2238212, 2236296(का.)
(0522)2239283(फैक्स)

दिनांक : 04-11-2019

संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' दिनांक 07 दिसम्बर, 2019 को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं राज्य सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन सभी अमर शहीदों एवं उनके परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये तथा वीरता का उच्चतम मापदण्ड स्थापित करते हुए अलंकरण प्राप्त कर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

देश की सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ दैवी आपदाओं से निपटने में भी हमारी सशस्त्र सेनाओं की भूमिका अनुकरणीय है।

मैं 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' के अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूँ कि हम सभी अपने सैनिकों के प्रति आदर, सम्मान एवं अपनत्व की भावना प्रदर्शित करते हुए उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग करके उनके कल्याणार्थ अपनी सक्रिय भूमिका निभायें।

'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' के अवसर पर मैं सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीरनारियों तथा उनके आश्रितों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)



लेफ्टिनेंट जनरल आई एस घुमन, पी वी एस एम, ए वी एस एम

जनरल ऑफिसर कमान्डिंग-इन-चीफ एवं
कर्नल ऑफ दि ब्रिगेड ऑफ गार्ड

Lt Gen IS Ghuman, PVSM, AVSM
General Officer Commanding-in-Chief &
Colonel of the Brigade of Guards

Tele : 0522 - 2480004
2601

मुख्यालय मध्य कमान
पिन - ६०८५४४
द्वारा ५६ एपीओ

Headquarters
Central Command
PIN - 908544
C/O 56 APO



संदेश

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 07 दिसम्बर 2019 को उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय द्वारा मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं देश वासियों का ध्यान उन शहीद परिवारों के प्रति आकृष्ट करना चाहूंगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये और अलंकरण प्राप्त कर देश का नाम रौशन एवं गौरवान्वित किया।

भारत की सशस्त्र सेना हमेशा अपने कार्य-कुशलता का परचम लहराती रही है। हमारी सेना ने विषम परिस्थितियों और कठिन वर्फिले रेगिस्तान आदि इलाकों में अपना कर्तव्य निभाते हुए सदैव देश का नाम रौशन किया है। मैं यह आश्वासन देता हूँ कि हम सदैव अपने कर्तव्य पूर्ण करने के लिए हर तरह से परिपूर्ण है।

मैं प्रदेश वासियों का ध्यान सैन्य विरासत तथा प्रदेश के वीर सैनिकों द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने युद्ध और शांति के समय अदम्य साहस एवं निःस्वार्थ सेवा के अपने लम्बे इतिहास में स्वयं को तथा मातृभूमि को गौरव प्रदान किया है। चाहे वह देश की सीमा हो, आंतरिक सुरक्षा, दैवीय आपदा या पड़ोसी मित्र देश, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने सदैव आगे बढ़कर अपने जीवन की परवाह किये बिना कर्तव्य परायणता तथा व्यवसायिक दक्षता का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है।

मैं समस्त देश व प्रदेश वासियों से अपील करता हूँ कि वे उदारतापूर्वक 'झण्डा निधि' में आर्थिक सहयोग करके सैनिक बन्धुओं, वीर नारियों तथा उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारि योजनाओं में अपना योगदान दें।

मैं 'सशस्त्र सेना झण्डा दिवस' की सफलता की कामना करता हूँ।



स्टेशन : लखनऊ

दिनांक : 02 नवंबर 2019

(Handwritten signature)

(आई. एस. घुमन)
लेफ्टिनेंट जनरल

जनरल आफीसर कमान्डिंग-इन-चीफ,
मध्य कमान, लखनऊ



एयर मार्शल राजेश कुमार अ.वि.से.मे., वा.से. (वी.)
वायु अफसर कमांडिंग-इन-चीफ
मध्य वायु कमान

Air Marshal Rajesh Kumar AVSM, VM(G)
Air Officer Commanding-in-Chief
Central Air Command
Tele : 0532-2580021

मुख्यालय मध्य वायु कमान
राष्ट्रीय वायु सेना
बनारसी, इलाहाबाद-221012
HQ Central Air Command
Indian Air Force
Banarasi, Allahabad - 221012



दिनांक : 07 नवम्बर 2019

संदेश

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 07 दिसम्बर 2019 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी सेवानिवृत्त सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीर नारियों और उनके आश्रितों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।


युद्ध एवं शांतिकाल में, निहायत ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे देश के सैनिकों ने आवश्यकता की हर घड़ी में राष्ट्र सेवा हेतु अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे जाँबाज वीर सैनिकों ने चौबीसों घण्टे जिस समर्पण भाव व कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ राष्ट्र की एकता, अखण्डता व इसकी अस्मिता की रक्षा में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है उसकी मैं ही नहीं, सारा देश प्रशंसा करता है।

उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण एवं पुनर्वास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों का ध्यान अपने देश की समृद्ध सैन्य विरासत तथा सैनिकों द्वारा युद्ध एवं शांति काल में देश की सेवा में किये गये त्याग, बलिदान एवं पराक्रम की ओर आकर्षित करता हूँ।

हमारे सैनिक देश की आजादी और अस्मिता की रक्षा के लिए अपना जीवन एवं जीवन समर्पित करने को सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे सैनिक हमेशा ही निष्ठा, कर्त्तव्य परायणता, निःस्वार्थ सेवा, त्याग, पराक्रम और बलिदान का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करते हैं और हमारे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं।

इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वे झण्डा निधि में स्वेच्छापूर्वक उदार भावना से अधिक से अधिक धनराशि का योगदान दें ताकि आगे चलकर सैनिक कल्याण विभाग पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों का बेहतर कल्याण कर सके।

जय हिन्द!


(राजेश कुमार)

एयर मार्शल
एयर अफसर कमांडिंग-इन-चीफ
मध्य वायु कमान, भा वा से

मनोज सिंह

आई.ए.एस.

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश



सत्यमेव जयते

Ph : 0522 - 2236812

Fax : 0522 - 2239387

D.O.No...../P.S.....

Government of U.P.

Date 01-11-2019.....

संदेश

मैं सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 07 दिसम्बर 2019 के शुभ अवसर पर सभी सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की वीर नारियों और उनके आश्रितों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

झण्डा दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों का ध्यान उन शहीद सैनिकों के परिवारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिनकी तत्परता एवं बलिदान से हमारा देश शक्तिशाली एवं सुदृढ़ हुआ है। समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में सैनिक अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए प्रशासन की सहायता भी करते रहे हैं। ऐसे जांबाज वीर सपूतों के परिवारों की उचित देख-भाल में सहभागी बनना हम सभी प्रदेशवासियों का परम धर्म ही नहीं अपितु परम कर्तव्य भी है।

मैं प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि हम सभी विशेष उत्साह से झण्डा दिवस के अवसर पर अपने सैनिकों के प्रति आदर एवं एकात्मकता प्रदर्शित करते हुये अधिक से अधिक योगदान दें ताकि संग्रहीत धनराशि से इनके परिवारों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा सकें।

मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा सैनिकों के आश्रितों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं को लागू किये जाने हेतु कृत संकल्प हूँ

मैं सशस्त्र सेना झण्डा दिवस की पूर्ण सफलता की मंगल कामना करता हूँ।

(मनोज सिंह)

आई.ए.एस.

प्रमुख सचिव

**ब्रिगेडियर रवि (अ0प्र0)
निदेशक**

**Brigadier Ravi (Retd)
Director**



निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0
करियप्पा भवन, कैसरबाग, लखनऊ-226001
दूरभाष 0522-2625354, 0522-2623909
Dte Sainik Kalyan Evam Punarvas, UP
Cariappa Bhawan, Kaiserbagh,
Lucknow-226001
Phone/Fax: 0522-2625354, 0522-2623909
Email: dirskpnl-u-ppnlic. in

Date: 07 Nov 2019

संदेश

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 07 दिसम्बर, 2019 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सेना में सेवारत और पूर्व सैनिकों, वीरगति प्राप्त सैनिकों की वीर नारियों तथा उनके आश्रितों के प्रति मैं हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त करता हूँ।

मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों का ध्यान देश की समृद्ध सैन्य विरासत की ओर आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। हमारी सशस्त्र सेनाओं का साहस, पराक्रम, शौर्य, त्याग, बलिदान एवं निःस्वार्थ सेवा का स्वर्णिम इतिहास रहा है। चाहे देश की आजादी एवं अखण्डता की रक्षा हो या दैविक आपदाओं के समय नागरिकों एवं प्रशासन की सहायता, हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा ही अपनी निष्ठा, कर्तव्य परायणता तथा व्यवसायिक दक्षता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह हमारे लिए गर्व एवं प्रेरणा का विषय है।

यह एक गौरव व सम्मान की बात है कि सशस्त्र सेनाओं में सर्वाधिक पूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश (उत्तम प्रदेश) से हैं। शौर्य, पराक्रम एवं बहादुरी का परिचय देने के लिए भी उत्तर प्रदेश के शूरवीरों की संख्या अत्यधिक है। पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को मिले इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग व निदेशालय, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश कृतबद्ध है।

वीर शहीद सैनिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2018 को निर्णय लिया कि दिनांक 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् शहीद हुये सैनिकों की पत्नियों अथवा एक आश्रित को राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित किया जाये। साथ ही दिनांक 09 मार्च 2019 को यह निर्णय भी लिया कि शहीद के आश्रित/परिवार को ₹0 20 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान की जाये। यह हमारे लिये बहुत ही गर्व का विषय है।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस हमें अपनी विस्तृत सरहदों के सजग प्रहरियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता एवं स्नेह व्यक्त करने का एक सुअवसर प्रदान करता है, जब हम उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग देकर सैनिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं में भागीदार बनने का गौरव प्राप्त करते हैं।

इस अवसर पर मेरा प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि वे "झण्डा निधि" में उदारतापूर्वक एवं स्वेच्छा से योगदान दें ताकि इस धनराशि का उपयोग पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके आश्रितों के कल्याण कार्य में किया जा सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेशवासी इस पुनीत कार्य में पूर्ण सहयोग करने के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।


(ब्रिगेडियर रवि)



**FIRST PERSONAL LETTER ADDRESSED TO ALL
OFFICERS OF ARMY BY THE FIRST INDIAN
ARMY COMMANDER-IN-CHIEF, GENERAL K M CARIAPPA, OBE
(LATER FIELD MARSHAL)**

Firstly please deal sympathetically with all cases of ESM, which come to your knowledge. If an ESM comes to you with a request for help, do not send him away by saying NO this is not my job. Tell him if it is not your job and you cannot help him, where he can go and whom he should see for help. Remember these ex-servicemen have done their stuff for their country. It is because of their grand work in the past coupled with our humble efforts since we have been free, that our Army today is enjoying the respect, the confidence and affection of our people. We cannot neglect interest and welfare of our ex-servicemen, go out of way whenever possible to help them if you can.

Sd/- xx xx xx
Gen KM Cariappa, OBE
C-in-C
20 Feb 1953



ABRAHAM LINCOLN

"I CALL UPON THE CONGRESS AND THE AMERICAN PEOPLE TO
TAKE CARE FOR HIM, WHO SHALL HAVE BORNE THE BATTLE,
HIS WIDOW AND HIS ORPHAN".

राष्ट्रीय शहीद स्मारक



श्रीमती आनंदीबेन पटेल

माननीय राज्यपाल, उ०प्र०
(भ्रमण राष्ट्रीय शहीद स्मारक)



श्री योगी आदित्यनाथ

माननीय मुख्यमंत्री, उ०प्र०
(भ्रमण राष्ट्रीय शहीद स्मारक)

मा. केबिनेट मंत्री, सैनिक कल्याण श्री चैतन चौहान जी द्वारा निदेशालय भ्रमण



माननीय केबिनेट मंत्री सैनिक कल्याण श्री चैतन चौहान जी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त द्वारा विभाग का चार्ज सम्भालते ही दिनांक 05 सितम्बर 2019 को निदेशालय सैनिक कल्याण का वीक्षण किया गया।



यह बड़े गौरव की बात है कि माननीय मंत्री जी हमारे सैन्य परिवार से जुड़े हैं। इनके दादा जी सूबेदार शीलू सिंह (स्वर्गीय) राजपूत रेजीमेंट में एवं पिता जी मेजर नौरत्न सिंह (स्वर्गीय) आर्मी मेडिकल कोर में सैन्य अधिकारी थे। सैन्य पुत्र होने के नाते सैनिकों/पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों की समस्याओं को मंत्री महोदय जी ने बहुत ही करीब से जाना है। आशा करते हैं कि आपका सहयोग, आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन इस विभाग को भविष्य में प्राप्त होता रहेगा।

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन एवं सम्मान समारोह



बलरामपुर



बलरामपुर

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन एवं सम्मान समारोह



बहराइच



बहराइच

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन एवं सम्मान समारोह



अम्बेडकर नगर



मुल्तानपुर

**जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा
स्वच्छता अभियान**



चंदौली



कासगंज

राष्ट्रीय एकता दिवस

उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों द्वारा प्लेज व रन फार यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर



राष्ट्रीय एकता दिवस

उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों द्वारा प्लेज व रन फार यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर

BREAK
सरदार बल्लभभाई पूर्व सैनिकों द्वारा
 सरदार बल्लभभाई पटेल की जयंती पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों द्वारा प्लेज व रन फार यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरदार बल्लभभाई पटेल की जयंती पर प्लेज पढ़ाया गया और रन फार यूनिटी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।



सम्पादक मंडल

सम्पादक

ब्रिगेडियर रवि
निदेशक

उप सम्पादक

विंग कमाण्डर श्याम किशोर पाण्डेय
अतिरिक्त निदेशक

सम्पादकीय समिति

कर्नल हरिश्चन्द्र सिंह
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सुल्तानपुर

कमान्डर रामेन्द्र माथुर
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कानपुर नगर

स्क्वाड्रन लीडर मधु मिश्रा
जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उन्नाव

श्रीमती रेखा राय

श्री समीर कुमार श्रीवास्तव

श्री प्रदीप कुमार मिश्रा

श्री सुखदेव सिंह सन्धू

श्री विनोद कुमार सेन

श्रीमती नीरू कपूर

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पूर्व सैनिक की परिभाषा	01-04
2.	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधायें	05-13
3.	शासनादेश—भवन/भूखण्ड आवंटन में आरक्षण	14
4.	शासनादेश—शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण	15
5.	शासनादेश—उचित दर की दुकानों का आवंटन	16
6.	शासनादेश—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय अनुग्रह राशि	17-20
7.	शासनादेश—गृहकर सम्बन्धी	21
8.	शासनादेश—नौकरियों में आरक्षण सम्बंधी	22
9.	शासनादेश—स्टाम्प ड्यूटी में छूट सम्बंधी	23-26
10.	शासनादेश—उ.प्र. परिवहन निगम द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधाएं	27-28
11.	जिला सैनिक बन्धु का गठन	29
12.	उ.प्र. पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सों सह्यता संस्थान सम्बंधी जानकारी	30
13.	उ.प्र. सैनिक पुनर्वास निधि लखनऊ द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं सहायता	31
14.	उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा पूर्व सैनिकों के पुनर्योजन में सहायता	32-33
15.	शहीदों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश	34-36
16.	वर्ष 1986 के पूर्व वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त अनुग्रह राशि एवं वार्षिकी का शासनादेश	37-38
17.	विश्राम गृह सम्बन्धि जानकारी	39
18.	भारत सरकार (केन्द्रीय सैनिक बोर्ड) द्वारा देय सुविधायें	40-43

19.	भारतीय थल सेना वेटरन्स निदेशालय द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं	44-45
20.	आश्रित पहचान-पत्र हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप	46
21.	पन्द्रह वर्षों की सैन्य सेवा की स्नातक डिग्री के समान मान्यता	47
22.	ई.सी.एच.एस. पॉलीक्लीनिक्स की सूची	48-50
23.	लापता/अक्षम/शहीद सैनिकों के बच्चों को शैक्षणिक शुल्क में रियायतें	51-52
24.	के.एस.बी. को ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ	53-55
25.	पूर्व सैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं की शिक्षा और शादी के लिए अर्थिक सहायता	56-57
26.	जिले स्तर पर कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यप्रणाली	58-63
27.	उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान से अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन पत्र	64
28.	ई.एस.एम. सेल की सूची	66
29.	सेना अभिलेख कार्यालयों की सूची	67-69
30.	वेटरन लिंक्स	69
31.	जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की सूची	70-73
32.	पूर्व सैनिकों/विधवाओं की गणना	74-75
33.	हेल्पफुल वेब लिंक्स	75



DEFINITION OF EX-SERVICEMEN

(As given by Govt. of India, Ministry of Defence (KSB) & other authorised Govt. Departments from time to time)

1. Those who were released between 01 Jul 66 and 30 Jun 68 (both days inclusive) - Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union, has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(**Authority :** Min of Home Affairs Notification No F.14/26/64-Estt(D) dated 11 Oct 1966)

2. Those who were released between 01 Jul 68 and 30 Jun 71 (both days inclusive) - Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months and released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(**Authority :** Min of Home Affairs Notification No 14/11/68-Estt(D)/Estt -C) dated 13 Feb 1969)

3. Those who were released between 01 Jul 71 and 30 Jun 74(both days inclusive) - Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union and has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(**Authority :** Cabinet Secretariat, Department of Personnel Notification No 13/3/71-Ests(C) dated 14 Oct 71)

4. Those who were released between 01 Jul 74 and 30 Jun 79(both days inclusive)- ESM means a person who has served in any rank(whether as a combatant or non -combatant) in the Armed forces of the Union, for a continuous period of not less than six months after attestation and has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(**Authority :** Cabinet Secretariat, Department of Personnel & Administrative Reforms Notification No 13/24/73-Estt(C) dated 26 Oct 74).

5. Those who were released between 01 Jul 79 and 30 Jun 87(both days inclusive) - Any person who has served in any rank (whether as combatant or not)in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months after attestation if discharged for reasons other than at their own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and not less than five years service if discharged at own request.

(**Authority :** Department of Personnel & Administrative Reforms Notification No. 39016/10/79-Estt(C) dated 15 Dec 79)

6. Those who were released on or after 01 Jul 87 - Any person who has served in any rank (whether as combatant or not) in the Armed Forces of the Union and was released/retired with any kind of pension from Defence Budget or released on completion of specific terms of engagement with gratuity otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(**Authority :** DOP&TOM No. 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)

7. **Personnel of Territorial Army** - Who are pension holders for continuous embodied service, persons with disability attributable to military service and gallantry award winners retired on or after 15 Nov 86.

(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)

8. **Personnel of Army Postal Service** - Personnel of Army Postal Service, who are a part of Regular Army and retire from such service (that is directly from APS without reversion to P&T Department) with a pension or who have been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension shall come within the definition of ex-servicemen.

(Authority: Min of Defence OM No 9(52)/88/D)(Res) dated 19 Jul 89)

Note : As per Govt. of India, Min of Def/Department of ESW OM No 1(9)/2010/D(Res-I) dated 20/21 Jul 2011, personnel who were on deputation in APS for more than six months prior to 14 Apr 87 would also be considered as ex-servicemen with all consequential benefits.

9. **Recruits**- Who are boarded out/released on medical grounds and granted medical/disability pension. However, the operation of the OM has been kept in abeyance for issuance of notification by DOP&T.

(Authority : Min of Def/Department of ESW OM No 12/1/2005/D(Res) dated 01 Feb 2006)

10. **Those who were released on or after 10 Oct 2012 ****

An ex-servicemen means a person-

(i) Who has served in any rank whether as a combatant or non combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and

(a) Who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension.

or

(b) who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension.

or

(c) Who has been released from such service as a result of reduction in establishment.

or

(ii) Who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given gratuity; and includes personnel of the Territorial Army, namely pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service.

or

(iii) Personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service with pension without reversion to their parent service or who

have been released from such service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension.

or

(iv) Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987.

or

(v) Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension irrespective of the date of boarding out/release.

Authority: DOP&T Office Memo No.36034/1/2006-Estt(Res) dated 04 Oct 2012 and this order came into force from the date it is published in the Gazette of India vide G.S.R 757(E) dated 10th Oct 2012.)

Authority : Ministry of Defence, Department of Ex-servicemen Welfare D(Res I) OM dated 07th July 2014 (ex-recruits have been granted ESM Status irrespective of the date of boarding out/release).

Note : The eligibility of the person to the status of ex-servicemen will be governed by the definition in vogue at the time of his discharge and will not be affected by the changes in the definition subsequent to the discharge.

11. Service Personnel not covered under ESM Status

(a) MNS Officers

Authority: KSB, MoD, West Block-IV, Wing-VII, RK Puram New Delhi-66 letter No-762/Grievances/Gen/IV dated 27 Mar 2017 (See Page No. 4).

(b) DSC Personnel

Authority: KSB, MoD, West Block-IV, Wing-VII, RK Puram New Delhi-66 letter No-762/Grievances/Gen/IV dated 27 Mar 2017 (See Page No. 4).

Tele : 26179109 Fax : 011-26192362
E-mail : jdgrievancesksb-mod@gov.in

Kendriya Sainik Board
Ministry of Defence
West Block-IV, Wing-VII
RK Puram, New Delhi-66

No. 762/Grievances/Gen/IV

27 Mar 17

Directorate of Sainik Kalyan Evam
Punarvas, Carriappa Bhawan
Kaiserbagh
Lucknow – 226001

REGARDING ISSUE OF I-CARD TO ESM

1. Please refer to your letter No-5015/Icard/2015/113 dated 20 Feb 2017.
2. It is stated that as per DOP&T OM No35034/5/85-Estt (SCT) dated 14 Apr 87, includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely are treated as Ex-servicemen :-
 - (a) Pension holders for continuous embodied service.
 - (b) Persons with disability attributable to military service.
 - (c) Gallantry award winners.
2. **DSC personnel do not cover the ex-servicemen status.** Hence, Naik Netrapal Singh (Retd) is not covered under the definition of ESM. Therefore, he is not eligible for issue of ESM I Card.

Sd/-
(Manmohan Singh)
Cdr
Jt Dir (Grievances)

Tele : 26179109 Fax : 011-26192362
E-mail : jdgrievancesksb-mod@gov.in

Kendriya Sainik Board
Ministry of Defence
West Block-IV, Wing-VII
RK Puram, New Delhi-66

No. 762/Grievances/Gen/IV

27 Mar 17

Directorate of Sainik Kalyan Evam
Punarvas, Carriappa Bhawan
Kaiserbagh
Lucknow – 226001

REGARDING ISSUE OF I-CARD TO ESM

1. Please refer to your letter No-5015/Icard/2015/117 dated 22 Feb 2017.
2. It is stated that as per existing rules, **MNS Officers are not covered under Ex-Servicemen status.**

Sd/-
(Manmohan Singh)
Cdr
Jt Dir (Grievances)

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वासि, उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश सरकार
द्वारा देय सुविधायें



फील्ड मार्शल के० एम० करियप्पा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को देय अनुदान धनराशि

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के वीरता एवं विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी 30 वर्षों के लिये प्रदान की जाती है।

(क) वीर चक्र श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदान

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी (30 वर्षों तक के लिये) अनुदान एवं भूमि के स्थान पर नकद धनराशि निम्नतालिका के अनुसार दी जाती है।

वीर चक्र श्रृंखला (धनराशि रु० में)						
वर्ष	परमवीर चक्र		महावीर चक्र		वीर चक्र	
	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी
1962 के पश्चात्	10,000	500	7,500	—	3,000	—
1973 के पश्चात्	10,000	500	7,500	—	3,000	—
1979 के पश्चात्	15,000	500	10,000	300	5,000	200
1986 के पश्चात्	22,500	1,000	15,000	400	7,000	300
1992 के पश्चात्	2,00,000	1,000	1,25,000	400	50,000	300
2008 के पश्चात्	25,00,000	1,50,000	15,00,000	1,14,000	10,00,000	66,000
13 अप्रैल 2016 से	32,50,000	1,95,000	19,50,000	1,48,000	13,00,000	85,800
10 जुलाई 2018 से	52,00,000	3,12,000	31,00,000	2,37,000	20,80,000	1,37,000

1. प्राधिकार शासनादेश सं० :-333(एस.बी./आई.ए.-224 एस.बी.)1962 दिनांक 26 मई 1964 और शासनादेश सं०:-745/आई.ए. दिनांक 17 सितम्बर 1968 के साथ पठित राजस्व(ख) विभाग का शासनादेश सं०-1814-आर.आई.बी.-62 एस.बी.-1962 दिनांक 20 सितम्बर 1962
2. प्राधिकार शासनादेश सं० :-97 / 19(12)-72 रा०अनु०-2 दिनांक 09 अप्रैल 1973
3. प्राधिकार शासनादेश सं० :-2224 / 48-83-19(7) / 1972 दिनांक 30 अगस्त 1983
4. प्राधिकार शासनादेश सं० :-820 / 48 / 87-19(7) / 72 टी०सी० III दिनांक 11 मई 1987
5. प्राधिकार शासनादेश सं० :-2162 / 48-92-19(7) / 72 III दिनांक 07 नवम्बर 1992
6. प्राधिकार शासनादेश सं० :-1009 / 48-2008-113(वि०) / 2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008
7. प्राधिकार शासनादेश सं० :-148 / 48-2016-113(वि०) / 2004 दिनांक 13 अप्रैल 2016
8. प्राधिकार शासनादेश सं०:-431 / 48-2018-113 (विविध) / 2004 दिनांक 10 जुलाई 2018

(ख) बार-टू-सेना मेडल श्रृंखला पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदान

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के बार-टू-सेना मेडल श्रृंखला पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी (30 वर्षों तक के लिये) अनुदान निम्न तालिका के अनुसार दिया जाता है।

बार-टू-सेना मेडल (धनराशि रु0 में)										
वर्ष	सेना मेडल (वीरता)		मेन्शन-इन-डिस्चैच		सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल		उत्तम युद्ध सेवा मेडल		युद्ध सेवा मेडल	
	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी
1973 के पश्चात्	2,000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—
1979 के पश्चात्	2,000	—	1,000	—	—	—	—	—	—	—
1986 के पश्चात्	3,000	100	2,000	50	17,000	150	10,000	100	4,000	50
1992 के पश्चात्	3,000	100	2,000	50	1,25,000	150	75,000	100	35,000	100
2008 के पश्चात्	30,000	4,800	25,000	3,000	1,50,000	6,000	1,25,000	5,000	40,000	4,000
13 अप्रैल 2016 से	39,000	6,240	32,500	3,900	1,95,000	7,800	1,62,500	6,500	52,000	5,200
10 जुलाई 2018 से	1,00,000	15,000	52,000	13,000	3,12,000	12,000	2,60,000	11,000	83,200	10,000

1. प्राधिकार शासनादेश सं0 :-333(एस.बी./आई.ए.-224 एस.बी.)1962 दिनांक 26 मई 1964 और शासनादेश सं0:- 745/आई .ए. दिनांक 17 सितम्बर 1968 के साथ पठित राजस्व(ख) विभाग का शासनादेश सं0-1814-आर.आई.बी.-62 एस.बी.-1962 दिनांक 20 सितम्बर 1962
2. प्राधिकार शासनादेश सं0 :-97 / 19(12)-72 रा0अनु0-2 दिनांक 09 अप्रैल 1973
3. प्राधिकार शासनादेश सं0 :-2224 / 48-83-19(7) / 1972 दिनांक 30 अगस्त 1983
4. प्राधिकार शासनादेश सं0 :-820 / 48 / 87-19(7) / 72 टी0सी0 III दिनांक 11 मई 1987
5. प्राधिकार शासनादेश सं0 :-2162 / 48-92-19(7) / 72 III दिनांक 07 नवम्बर 1992
6. प्राधिकार शासनादेश सं0 :-1009 / 48-2008-113(वि0) / 2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008
7. प्राधिकार शासनादेश सं0 :-148 / 48-2008-113(वि0) / 2004 दिनांक 13 अप्रैल 2016
8. प्राधिकार शासनादेश सं0 :-431 / 48-2018-113(वि0) / 2004 दिनांक 10 जुलाई 2018

(ग) विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदान

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के विशिष्ट सेवा मेडल श्रृंखला पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी (30 वर्षों तक के लिये) अनुदान निम्न तालिका के अनुसार दिया जाता है।

विशिष्ट सेवा मेडल (धनराशि रु0 में)								
वर्ष	परम विशिष्ट सेवा मेडल		अति विशिष्ट सेवा मेडल		सेना मेडल(विशिष्ट)		विशिष्ट सेवा मेडल	
	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी
1992 के पश्चात्	15,000	400	7,000	300	लम्बित	लम्बित	3,000	200
2008 के पश्चात्	1,15,000	5,400	57,000	4,800	लम्बित	लम्बित	23,000	3,000
13 अप्रैल 2016 से	1,49,500	7,020	74,100	6,240	लम्बित	लम्बित	29,900	3,900
10 जुलाई 2018 से	2,39,000	11000	118000	10000	90000	9000	47000	9000

1. प्राधिकार शासनादेश सं० :-47/48-92-19(7)/72 टीसी III दिनांक 18 सितम्बर 1992, प्राधिकार शासनादेश सं०:-787/48-09-19(7)/72 III दिनांक 29 सितम्बर 2009 एवं प्राधिकार शासनादेश सं०:-157/48-2010-19(7)/72 III दिनांक 30 मार्च 2010
2. प्राधिकार शासनादेश सं० :-148/48-2016-113 (वि०)/2004 दिनांक 13 अप्रैल 2016
3. प्राधिकार शासनादेश सं० :-431/48-2018-113 (विविध) 2004 दिनांक 10 जुलाई 2018

(घ) अशोक चक्र श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अनुदान

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल तथा वायु सेना के अशोक चक्र श्रृंखला वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी का अनुदान निम्न तालिका के अनुसार दिया जाता है।

वर्ष	अशोक चक्र श्रृंखला				(धनराशि रु० में)	
	अशोक चक्र		कीर्ति चक्र		शौर्य चक्र	
	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी	एक मुश्त	वार्षिकी
1976 के पश्चात्	10,000	—	6,000	—	3,500	—
1986 के पश्चात्	20,000	200	12,000	100	5,000	100
1999 के पश्चात्	40,000	400	25,000	300	10,000	200
2008 के पश्चात्	25,00,000	1,20,000	15,00,000	1,00,000	10,00,000	50,000
10 अक्टूबर 2018 से	32,50,000	1,50,000	19,50,000	1,30,000	13,00,000	65,000

1. प्राधिकार शासनादेश सं० :-1976/तीन-5(1)/73-सा०प्र०अनु० दिनांक 15 मई 1978
 2. प्राधिकार शासनादेश सं० :-2487/तीन-5(9)/85-सा०प्र०अनु० दिनांक 07 जुलाई 1987
 3. प्राधिकार शासनादेश सं० :-वी०आई०पी०III/तीन-98-5 (14)/197 दिनांक 06 मई 1999
 4. प्राधिकार शासनादेश सं० :-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008
 5. प्राधिकार शासनादेश सं० :-147/तीन-2018-10 (35) 2016 दिनांक 10 अक्टूबर 2018
2. **वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/परिवार तथा अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता**

उ.प्र. सरकार ने आपरेशन 'पवन' (श्रीलंका), आपरेशन 'मेघदूत' (सियाचिन) में शहीद हुए प्रदेश में रहने वाले सशस्त्र सेना के सैनिकों की विधवाओं/परिवारों तथा अपंग हुए ऐसे सैनिकों को जो अपंगता के आधार पर सेवामुक्त हो गये हैं, क्रमशः रु. 15,000 तथा रु. 10,000 प्रति पात्र की दर से विशेष आर्थिक सहायता देना स्वीकृत किया है।

आपरेशन पवन (श्रीलंका) प्राधिकार शासनादेश सं०- 2290/48-88-11-2 (23) /1987, दिनांक 07 अक्टूबर, 1988 तथा आपरेशन मेघदूत (सियाचिन), ग्लेशिअर प्राधिकार शासनादेश सं० :-33/राज्यपाल/48-98-2 (15) दिनांक 31 मार्च 1993

3. **द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिक की पत्नियों को अनुदान**

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में रहने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को अनुदान दिया जाता है, जो 21 अक्टूबर 2013 से प्रतिमाह रु० 4000/- था, इसे दिनांक 04 फरवरी 2016 को बढ़ाकर रु० 6000/- प्रतिमाह कर दिया गया है। अनुदान प्राप्त करने की पात्रता निम्नवत् है :

(क) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना में कमी होने के कारण सैन्य विघटन (Demobilisation)

अथवा युद्ध में भाग लेने के फलस्वरूप शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा मुक्त कर दिये गये हों।

(ख) उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हों।

(ग) किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन प्राप्त न कर रहे हों।

4. सैनिकों के लिए भूखण्ड/निर्मित भवनों के आवंटन में आरक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेवारत/पूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा राज्य के विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित मकानों तथा भूखण्डों के आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया है।

(प्राधिकार शासनादेश संख्या : 2985/37-2-91-94 एच.बी./91 दिनांक 25 नवम्बर 1991, पृष्ठ संख्या -14 पर देखें)।

5. मेडिकल/इंजीनियरिंग/व्यवसायिक कालेजों में पूर्व सैनिकों व उनके पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटों का आरक्षण

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, उनकी पत्नियों को जिसमें युद्ध में मारे गये अथवा लापता घोषित और मृत मान लिये गये सैनिक भी सम्मिलित हैं के आश्रितों को प्रदेश के समस्त औद्योगिक संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 8 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही यह आरक्षण सेना के विकलांग अधिकारियों/इमरजेन्सी कमीशन/शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों एवं सेवारत/भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों के आश्रितों के लिए भी लागू है। राज्य प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिग्री इंजीनियरिंग संस्थानों में 5 प्रतिशत आरक्षण, राजकीय दीक्षा विद्यालयों में बी.टी. सी. के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण तथा सी.पी.एम.टी. में 1 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है (प्राधिकार शासनादेश सम्बन्धी जानकारी पृष्ठ संख्या - 15 पर देखें)।

नीट यू.जी. में उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों हेतु एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति एवं आरक्षण निम्नवत् है :-

आरक्षण श्रेणी	वर्टिकल आरक्षण	आरक्षण श्रेणी	हॉरिजेन्टल आरक्षण
(क) अनुसूचित जाति	21%	(क) स्व.सं. सेनानी आश्रित	2%
(ख) अनुसूचित जनजाति	2%	(ख) पूर्व सैनिक (युद्ध में शहीद, अपंग/ सेवानिवृत्त) के पुत्र/पुत्री	2%
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	(ग) विकलांग	3%
		(घ) महिला	20%
		(च) एन.सी.सी. 'सी' तथा 'बी' प्रमाण-पत्र धारक	1%

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्थापित मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में उपलब्ध 85 सीटें (प्रत्येक कॉलेज हेतु) का आरक्षण निम्नवत् है :-

(क) अनुसूचित जाति - 62 सीटें (ख) अनुसूचित जनजाति - 05 सीटें
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग - 11 सीटें (घ) अनारक्षित (सामान्य वर्ग) - 07 सीटें

प्राधिकार शासनादेश संख्या :- उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग - 2 के पत्रांक 2234/72-2-17-158/2017 दिनांक 03 जुलाई 2017 के अनुसार।

6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन में वर्तमान आरक्षण की व्यवस्था कार्यान्वित किये जाने एवं आवंटन प्रारम्भ किये जाने हेतु नीति निर्देश

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवार के सदस्य एवं युद्ध में घायल हुये सैनिकों को नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन में 08 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किया गया है (विस्तृत विवरण पृष्ठ – 16 पर देखें)।

7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय अनुग्रह धनराशि

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छूट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर मृत्यु हो जाये तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासियों जो भारतीय सेना में कार्यरत हों तथा जिनकी कर्तव्यपालन के दौरान इन्ही परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाय, उनके आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू0 20 लाख की अनुग्रह राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(प्राधिकार शासनादेश संख्या :- सीएम-134पी/छ:-पु.-6-14-100(9)/14 दिनांक 20 सितम्बर 2014 तथा शासनादेश सं0:-186 के /छ:-सा.नि.प्र.-19-15 (25)/2018 दिनांक 9 मार्च 2019 (पृष्ठ सं0 17 से 20 पर देखें)

8. शहीद सैनिक की पत्नियों को गृहकर से मुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में

देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैन्यकर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन को गृहकर से छूट प्रदान की गयी है। यह छूट केवल नगर निगमों के अन्तर्गत ही दी जा रही है तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए मान्य नहीं है। (प्राधिकार शासनादेश संख्या:- 1973/नौ-9-2003-24एम/89, दिनांक 23 अक्टूबर, 2003, पृष्ठ संख्या – 21 पर देखें)।

9. उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर रिक्तियों, में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत हॉरिजेन्टल आरक्षण प्रदान किया गया है (प्राधिकार शासनादेश संख्या : 18/1/95- का – 2/टी.सी.-1999 दिनांक 09 सितम्बर 1999, पृष्ठ संख्या – 22 पर देखें)।

10. पूर्व सैनिक/शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों के लिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्क में छूट

स्टाम्प एवं रजिस्ट्री अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 25/2016/888/94-स्टा.नि.-2-2016-500(64)/80 दिनांक 11 नवम्बर 2016 के आदेशानुसार पूर्व सैनिकों एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों को सम्पत्ति खरीद के प्रथम 20 लाख के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान की जायेगी (प्राधिकार शासनादेश संख्या : 25/2016/888/94-स्टा.नि.-2-2016-500(64)/80 दिनांक 11 नवम्बर 2016, एवं सं0- 583/94-स्टा0 नि0-2-2018-700 (03)/2018 दिनांक 20.06.2018, पृष्ठ संख्या-23 से 26 पर देखें)।

11. वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैन्य बल के सैनिकों/अधिकारियों, जो प्रदेश के नागरिक हों, को प्रदेश में निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। थल, जल एवं वायु सेनाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रशंसा-पत्र (कमेन्डेशन कार्ड) भी इस सुविधा के लिए मान्य है (प्राधिकार शासनादेश संख्या : 177 विविध/2013-7 विविध/2009 दिनांक 30 सितम्बर 2013, पृष्ठ सं0 – 27 से 28

पर देखें)।

12. शस्त्र लाइसेंस के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में

आयुध नियमावली 2016 में व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसों का सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए सीमा विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। सीमा विस्तार की अवधि अधिकतम 3 वर्षों के लिए होगी। प्रतिषिद्ध बोर (Prohibited Bore) के शस्त्रों के लाइसेंसिंग प्राधिकारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा नवीनीकरण प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट हैं (प्राधिकार शासनादेश संख्या : 163/सी.वि./छ:-पु0-5-17-800 (03)/2016 दिनांक 18 अप्रैल 2017)।

13. जिला सैनिक बन्धु का गठन

सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०:-1244/48-2008-96 (विविध)/91 टी.सी.-11 दिनांक 20 सितम्बर 2008 के अन्तर्गत जिले स्तर पर सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परतापूर्वक समुचित कार्यवाही के लिये जिला सैनिक बन्धु के गठन हेतु आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन इस दिशा में निरन्तर सजगता बरतते हुए सैनिकों की समस्याओं के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता एवं वरीयता प्रदान करेगा (प्राधिकार शासनादेश संख्या : 15 मु.स./48-2016 दिनांक 30 जून 2016, पृष्ठ संख्या - 29 पर देखें)।

14. प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए निम्नलिखित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है :-

(क)	इन्फोमेशन टेक्नालॉजी प्रशिक्षण	-	394 सीटें (480 घंटों का प्रशिक्षण)
(ख)	कम्प्यूटर टैली प्रशिक्षण	-	60 सीटें (180 घंटों का प्रशिक्षण)
(ग)	कम्प्यूटर फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण	-	110 सीटें (300 घंटों का प्रशिक्षण)
(घ)	एस.एस.बी. (SSB) साक्षात्कार प्रशिक्षण	-	75 सीटें (30 दिनों का प्रशिक्षण)

15. पूर्व सैनिकों को ग्राम सभा की फालतू भूमि के आवंटन में वरीयता

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम सभा की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं :-

- (क) ऐसे व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, न्याय पंचायत में रहने वाले भूमिहीन अविवाहित पुत्र/पुत्रियों या उसके भूमिहीन माता-पिता।
- (ख) न्याय पंचायत में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण पूर्णतया अक्षम हो गया हो।
- (ग) न्याय पंचायत में रहने वाले कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में अधिकारी से भिन्न किसी सेवा से निवृत्त, निर्मुक्त या सेवा मुक्त हो।

प्राधिकार : उत्तर प्रदेश भूमि-निधि (संशोधन) अधिनियम 1975 (उ.प्र. अधिनियम सं० 30. 1975) मूल

अधिनियम की धारा 198 का संशोधन।

16. सैनिकों द्वारा किराये पर दिये गये आवास को खाली कराने के लिए विशेष प्राविधान

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972, में कार्यरत या सेवानिवृत्त सैनिक अथवा सैनिक विधवा को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के आवासिक प्रयोजनों के लिए, किराये पर दिये गये भवन को खाली कराने के लिए, अधिनियम संख्या-17 सन् 1985 द्वारा मुख्य अधिनियम 1972 की धारा 2,3,4,10 व 21 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। सम्बंधित सैनिक, पूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं, इस संशोधित अधिनियम का लाभ अपना किराये पर दिया मकान खाली कराने के लिए उठा सकते हैं।

17. शैक्षिक अर्हता में छूट

सेना में की गयी 15 वर्ष की सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त हुये पूर्व सैनिकों को स्नातक के समकक्ष माना गया है।

प्राधिकार : कार्मिक अनुभाग- 2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या – 15/5/1986- का./2/92 दिनांक 28 अप्रैल 1992।

18. उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आक्रमण के समय अथवा वाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इन्सरजेन्सी (आतंकवाद) की घटनाओं/आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका में आपरेशन पवन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/दैविक-आपदाओं एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पुलिस/पी.ए.सी./विशेष पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, को आर्थिक अनुदान प्रदान करती है। अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि का उल्लेख संस्थान की वेबसाइट <http://uppafss.up.nic.in> पर उपलब्ध है (विस्तृत विवरण पृष्ठ संख्या – 17 से 20, 30 एवं 64 पर देखें)।

19. उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि

उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई कार्पस धनराशि के प्राप्त ब्याज से उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों/ उनकी विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है (विस्तृत जानकारी पृष्ठ सं0-31 पर देखें)।

20. उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम की योजनाएं

उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम, अवकाश प्राप्त सैन्य कर्मियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्योजन में सतत प्रयत्नशील है (विस्तृत विवरण पृष्ठ सं0 – 32 से 33 पर देखें)।

21. कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर, लखनऊ

यह कानपुर रोड पर सुरम्य वातावरण में स्थित है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाला एक आवासीय पब्लिक स्कूल है, जो भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद (काउंसिल फॉर द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन), नई दिल्ली से सम्बद्ध है। इस विद्यालय में चयनित छात्रों को एन.डी.ए. में प्रवेश के लिए तैयार किया जाता है। इस स्कूल में प्रवेश राज्य के कई स्थानों पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा

के माध्यम से किया जाता है। इस स्कूल में 10 1/2 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के कक्षा 6 उत्तीर्ण लड़कों/लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है। कक्षा 9 में प्रवेश के लिये उम्र 12 1/2 से 14 वर्ष होनी चाहिए। इस स्कूल में दाखिले के लिए फार्म सीधे सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नं. 0522-2476263 या ई-मेल : upsainikschool08657@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

22. उत्तर प्रदेश के शहीद सैनिकों के आश्रितों का सेवायोजन

उत्तर प्रदेश सरकार ने 01 अप्रैल 2017 या उसके बाद शहीद हुए सैनिकों के एक आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति का प्राविधान किया है (विस्तृत विवरण पृष्ठ सं. 34-36 पर देखें)।

23. वर्ष 1986 के पूर्व अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त अनुग्रह राशि एवं वार्षिकी

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 से पूर्व वीर चक्र श्रृंखला, सेना मेडल व मेन्शन-इन-डिस्पैच के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त धनराशि तथा वार्षिकी देने का निर्णय लिया है (प्राधिकार शासनादेश सं०:-262-48-2018-1/12(25)/17 टी.सी. II, दिनांक 15 जून 2018 (पृष्ठ सं०-37 पर देखें)।

प्रेषक,

नीता चौधरी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
104-महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
- (2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 1991

विषय - उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों/दुकानों के आवंटन में समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3840/11-5-86-18मिस/78 दिनांक 4 जून, 1986 एवं शासनादेश संख्या-3898/11-5-18मिस/78, दिनांक 7 जुलाई, 1989 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 4 जून, 1986 में निम्न प्रकार के परिवर्तन किये जाते हैं :

1. आरक्षण का मद संख्या-5 में उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, स्थानीय निकायों के कर्मचारी के लिए उपलब्ध 5 प्रतिशत आरक्षण के स्थान पर 2 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है।
2. **पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को 3 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाय।**
3. कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 4 जून, 1986 का उक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
नीता चौधरी
विशेष सचिव

संख्या :- 2985(1)/37-2-98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, संसदीय समीकरण अनुभाग।
2. सचिव, सैनिक कल्याण विभाग।
3. मुख्य मंत्री सचिवालय अनुभाग।
4. आवास विकास के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
ह.
विरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
उपसचिव

मेडिकल / इंजीनियरिंग / व्यवसायिक कालेजों, में पूर्व सैनिकों व उनके पुत्र / पुत्रियों के लिये सीटों का आरक्षण

उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, उनकी पत्नियों को जिसमें युद्ध में मारे गये अथवा लापता घोषित और मृत मान लिये गये सैनिक भी सम्मिलित हैं के आश्रितों को निम्नलिखित शैक्षिक सुविधायें प्राप्त हैं :

(क) पूर्व सैनिकों / युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को बी.एड. की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुग्रहांक दिये जाने का प्राविधान है।

(ख) राज्य के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग (बी.टी.सी.) के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण।

प्राशिक्षण संस्थाओं में विकलांग अधिकारियों, इमरजेंसी / शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, सेवारत सुरक्षा कर्मियों तथा उनके पुत्रों, सगे भाइयों, पुत्रियों, बहनों और पत्नी के लिए उ.प्र. के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में दो वर्षीय बी.टी.सी. पाठ्यक्रम के लिये तीन प्रतिशत स्थान (सीटें) आरक्षित हैं। प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए./बी. काम./बी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो कार्मिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयोग से मध्यमा (विशारद) परीक्षा उत्तीर्ण हैं वे बी.टी.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं हैं।

प्राधिकार : शिक्षा निदेशक, उ.प्र. (शिक्षा सामान्य-3) पत्र संख्या-सा(3)/9179/15-16(4)/83-84, दिनांक 21 मार्च, 1984

(ग) प्रदेश में स्थित मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु (नीट यू.जी.) युद्ध में शहीद / अपंग सैनिकों के बच्चों को एक प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य है।

प्राधिकार : शासनादेश संख्या-2154 / सैक-14 / पाँच-1 / 87 दिनांक 31 मार्च, 1987

(घ) राज्य सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिग्री इंजीनियरिंग संस्थाओं में डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु युद्ध में मारे गये / अपंग हुए सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होना आवश्यक है।

प्राधिकार : शासनादेश संख्या-1043 / सोलह-1-2007-14(6) / 2006, 22 जून 2007

(च) प्रदेश के समस्त औद्योगिक संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 8 प्रतिशत का आरक्षण सेना के विकलांग अधिकारियों / इमरजेन्सी कमीशन / शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों एवं सेवारत / भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रदान किया गया है।

प्राधिकार: शासनादेश सं. 162 / 36-6-92(टी) / 77 दिनांक 31 जनवरी, 1978 तथा 1827 / 36-6-92 / 77 दिनांक 08 अगस्त, 1980

(छ) महाविद्यालयों / विश्वविद्यालय में बी0ए0 में प्रवेश हेतु आरक्षण।

प्राधिकार : शासनादेश सं. 1484 / 48 / 88-11-2(18) / 1981 दिनांक 16 जुलाई 1988

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र की उचित दर की दुकानों के आवंटन में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के कार्यान्वित किये जाने एवं आवंटन प्रारम्भ किये जाने हेतु नीति-निर्देश।

प्राधिकार : उ0प्र0 सरकार शासनादेश सं0-2714 / 29-6-2002-162 सा0 / 2001 दिनांक 17 अगस्त 2002

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों के आवंटन/चयन हेतु निम्न आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है :-

(क)	अनुसूचित जाति	-	21 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	-	02 प्रतिशत
(ग)	अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत

2. उपर्युक्तानुसार आरक्षित श्रेणियों में निम्नलिखित होरिजेन्टल आरक्षण भी अनुमन्य होगा :-

(क)	सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को	-	20 प्रतिशत
(ख)	सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के लड़ाई में मारे गये सैनिक के परिवार के सदस्य, पूर्व सैनिक	-	08 प्रतिशत
(ग)	सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी / उनकी पत्नी ।	-	05 प्रतिशत
(घ)	सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को	-	02 प्रतिशत

3. होरिजेन्टल आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु लड़ाई में मारे गये सैनिक परिवार के सदस्य / घायल सैनिक अथवा उनके परिवार के सदस्य, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी पत्नी तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु दुकानों का चिन्हाँकन निर्धारित प्रतिशत तक लाटरी पद्धति से किया जायेगा ।

प्रस्तर-2 के 'क', 'ख', 'ग', 'घ' हेतु प्रत्येक के लिये क्रमवार एक-एक पर्ची तब तक निकाली जायेगी जब तक निर्धारित आरक्षण का चिन्हाँकन पूर्ण नहीं हो जाता है ।

यह उल्लेखनीय है कि अनारक्षित रिक्तियों के सापेक्ष किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है । परन्तु आरक्षित वर्ग की रिक्तियाँ उसी वर्ग से भरी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या सीएम-134 पी/छ:-पु.-6-14-100 (9)/14
लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

1. पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 588 पी/छ:-पु-6-12-1198/99, दिनांक 22-6-2012 में मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित घटनाओं में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अनुग्रह धनराशि अनुमन्य है।
2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 22-6-2012 को संशोधित करते हुए निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि के स्थान पर स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि मृतक के आश्रितों को दिनांक 22-8-2014 से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है :

क्र.सं.	घटना	पूर्व में अनुमन्य धनराशि (रु.)	वर्तमान में स्वीकृत धनराशि (रु.)
(क)	कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु होने पर	10,00,000 / -	20,00,000 / -
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	10,00,000 / -	20,00,000 / -
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	5,00,000 / -	20,00,000 / -
(घ)	अति दुर्गम पहाड़ी ऊँचाईयों/दुर्गम सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	15,00,000 / -	20,00,000 / -

-
3. उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए कर्तव्यपालन के दौरान आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप प्रदेश के बाहर मृत्यु हो जाय तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासियों जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत हो तथा जिनकी कर्तव्यपालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाय, उनके आश्रितों को भी उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित अनुग्रह धनराशि दिनांक 22-6-2014 से स्वीकृत किये जाने का भी एतद्वारा उक्त निर्णय लिया गया है।
 4. यह आदेश दिनांक 22-8-2014 से प्रभावी होगा।
 5. उक्त शासनादेश दिनांक 22 जून 2012, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(राजीव अग्रवाल)

सचिव।

संख्या : सीएम-134 (1) पी / छ:-पु.-6-14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ.प्र.।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / आडिट प्रथम, इलाहाबाद।
3. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. लखनऊ / अपर पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7. गृह (पुलिस) अनुभाग-1 / 2 / 7 / 10
8. गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 / 2
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से
(के.एल. वर्मा)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग
संख्या-188के/छ-सानिप्र-19-15(25)/2018
लखनऊ दिनांक 09 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

अवगत है कि केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद जवानों के आश्रित को शासनादेश संख्या-134पी/छ-पु0-14-100(9)/14, दिनांक-10 सितम्बर, 2014 द्वारा रूपये-20.00 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-102पी/छ-पु-6-16-100(09)/14, दिनांक-20 दिसम्बर, 2016 द्वारा शहीद के माता-पिता को रूपये-5.00 लाख की अनुग्रह आर्थिक सहायता अनुमन्य है।

2. शासन द्वारा सम्पक विचारोपरात सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना के शहीद जवानों के आश्रित को अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-134पी/छ-पु0-14-100(9)/14, दिनांक-10.09.2014 एवं सपटिल शासनादेश संख्या-सी0एम0-102पी/छ-पु-6-16-100(9)/2014, दिनांक-20.12.2016 में आशिक संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो तथा जो केन्द्रीय अर्द्ध सैन्यबलों/अन्य प्रदेशों के अर्द्ध सैन्यबलों अथवा भारतीय सेना (तीनों अगों-थल, जल एवं वायु) में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन/झूठी के दौरान आतंकवाद, अतिवादी, अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर दुश्मन से झड़प, छुट-पुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/ आतंकवादियों/अतिवादी गतिविधियों, विस्फोटकों की हैण्डलिंग, चिकित्सकीय कारणों/अति दुर्लभ पहाड़ी फ़र्चाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक आपदाओं अथवा अति खराब मौसम/दुर्घटना इत्यादि के फलस्वरूप मृत्यु हो जाये तथा उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी जो भारतीय सेना अथवा केन्द्रीय/अन्य राज्यों के अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत हो तथा जिनकी कर्तव्य पालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाने पर शासनादेश संख्या-134पी/छ-पु0-14-100(9)/14, दिनांक-10.09.2014 द्वारा शहीद के आश्रित/परिवार हेतु अनुमन्य धनराशि रूपये-20.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-102पी/छ-पु-6-16-100(09)/2014, दिनांक-20.12.2016 द्वारा शहीद के माता-पिता को अनुमन्य धनराशि रु-5.00 लाख निम्नानुसार वितरित की जायेगी -

- (1) यदि शहीद विवाहित है तथा उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित हैं तो शहीद के परिवार हेतु उसकी पत्नी को तथा माता-पिता अथवा उसमें से जो कोई जीवित हो को माता-पिता हेतु अनुमन्य धनराशि प्रदान कर दी जाये।
- (2) शहीद के विवाहित होने तथा माता-पिता में से किसी एक के भी जीवित नहीं होने की दशा में माता-पिता को अनुमन्य धनराशि भी शहीद की पत्नी को वितरित कर दी जाये।
- (3) शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद के परिवार हेतु अनुमन्य धनराशि उसके माता-पिता अथवा उसमें जो भी जीवित हो को वितरित कर दी जाये।

3. वर्णित स्थिति में प्रश्नगत संदर्भित शासनादेश संख्या-134पी/छ-पु0-14-100(9)/14, दिनांक-10 सितम्बर, 2014 एवं सपटिल शासनादेश संख्या-सी0एम0-102पी/छ-पु-6-16-100(09)/2014, दिनांक-20 दिसम्बर, 2016 इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव, गृह

संख्या-188के(1)/छ-सानिप्र-2019 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज को शासन द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के क्रम में बजट आवंटन हेतु।

-
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज।
 4. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
 6. पुलिस महानिरीक्षक, मध्य सेक्टर मुख्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, टी.सी.-32/वी, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
 7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
 9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 10. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
 11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
 12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
 13. गृह (पुलिस) अनुभाग-6, तथा 10
 14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

प्रेषक,

शिव जनम चौधरी,
अनु. सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0
करियप्पा भवन, कैसर बाग, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 03

विषय:- पूर्व सैनिकों को गृहकार से मुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक - 5520/स0प0-3, दिनांक- 18.08.2003 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा पूर्व सैनिकों को भी गृहकार से मुक्ति प्रदान करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा केवल देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन जिसमें वह स्वयं निवास कर रही हैं, को गृहकार से छूट प्रदान की गयी है। यह छूट केवल नगर निगमों के अन्तर्गत ही दी जा रही है। प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को गृहकार/जलकर से छूट प्रदान किए जाना प्रदेश की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है।

भवदीय,

XXX

(शिव जनम चौधरी)

अनु. सचिव।

संख्या-18 / 1 / 95-का-2 / टी-सी.-1999

प्रेषक,

सुधीर कुमार

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 1999

विषय – उ.प्र. लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 जुलाई, 1999 को प्रख्यापित उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे उक्त (संशोधन) अधिनियम की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य धाराओं / व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है :-

1. इस संशोधन अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार यह संशोधन अधिनियम, 21 मई, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
2. इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार समूह "क" के पद या समूह "ख" के पद का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है।
3. इस अधिनियम की धारा 3 के उपधारा (एक-क) के अनुसार समूह "क" के पदों या समूह "ख" के पदों से भिन्न लोक सेवाओं और पदों में **रिक्तियों का 5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है।**

आपसे यह अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि संलग्न संशोधन अधिनियम, 1999 के समस्त प्राविधानों का सभी स्तरों पर उन सभी लोक सेवाओं व पदों के सम्बन्ध में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय जिसका उल्लेख आरक्षण संशोधन अधिनियम में उल्लिखित है। यह भी अनुरोध है कि उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों / प्राधिकारियों को भी आप कृपया अवगत करा दें, ताकि इन प्राविधानों का संगत मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,
सुधीर कुमार
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या - 25/2016/888/94-स्टा.नि.-2-2016-500 (64)/80

लखनऊ :

दिनांक : 11 नवम्बर, 2016

अधिसूचना
आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-445/क.नि./11-7-2013-500 (64)-80, दिनांक 17-05-2013 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों एवं अर्द्ध सैनिक बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं। यह छूट सम्पत्ति के प्रथम रु. 20 लाख तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होगी। सम्पत्ति का मूल्यांकन रु. 20 लाख से अधिक होने की दशा में प्रथम रु. 20 लाख से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

प्रतिबंध यह है कि :-

- (1) भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों एवं केन्द्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों में से प्रत्येक के विधिक आश्रितों में से किसी एक आश्रित, जिसके लिए उसके अन्य आश्रितों की सहमति हो, को ही यह छूट अनुमन्य होगी।
- (2) यह छूट, पात्रता की दशा में उपर्युक्त को एक ही बार अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-25/2016/888/94/स्टा.नि.-2-2016-500 (64)/80, दिनांक 11 नवम्बर, 2016
प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग,
लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 11-11-2016 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड
(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को
उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

संख्या-25/2016/888/94/स्टा.नि.-2-2016-500 (64)/80, दिनांक 11 नवम्बर, 2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को
इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति
उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
7. शासकीय हस्तान्तरक, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2018

विषय- भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-939/स्टाम्प-विधि 25/2018 दिनांक 14.05.2018

का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में शहीद सैनिकों विधिक आश्रितों के पक्ष में रु० 20 लाख तक मूल्य तक की सम्पत्तियों के हस्तांतरण विलेखों एवं पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या-25/2016/888/94-स्टा0नि0-2-2016-500(64)/80 दिनांक 11.11.2016 जारी की गई थी। इस अधिसूचना में भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एवं शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं अर्द्ध सैनिकों बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के विधिक आश्रितों के पक्ष में निम्नलिखित हस्तांतरण लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-23 के खण्ड (क) के अधीन तथा पट्टा के लिखतों पर अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने तथा यह छूट सम्पत्ति के प्रथम रु० 20 लाख तक के मूल्यांकन पर उपलब्ध होने तथा सम्पत्ति मूल्यांकन रु० 20 लाख से अधिक होने की दशा में प्रथम रु० 20 से अधिक के मूल्यांकन की राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य देय होने का प्राविधान है।

3. शासन के संज्ञान में यह आया है कि आवास विकास एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भवनों/भूखण्डों के आवंटन में पति-पत्नी को एक यूनिट माना गया है तथा भवन की रजिस्ट्री संचुक्त नाम से होती है तो भवनों/भूखण्डों की रजिस्ट्री कराने पर आवंटियों को उक्त अधिसूचना दिनांक 11.11.2016 के अन्तर्गत सम्पत्ति के प्रथम रु० 20 लाख तक के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क की छूट अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आवंटियों को अनुमन्य छूट का लाभ एकल नाम से ही मिल पा रहा है।


अधिसूचना दिनांक 11.11.2016 में सम्बन्धित विलेखों में भूतपूर्व सैनिकों अथवा शहीद सैनिकों के विधिक आश्रितों के पक्ष में एकल नाम से अंतरण किये जाने की कोई अनिवार्य शर्त विहित नहीं है, अर्थात् यह अधिसूचना उस दशा में भी लागू होनी चाहिए जबकि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिकों के विधिक आश्रित किसी हस्तांतरण अथवा पट्टा विलेख में संयुक्त अंतरितों हों।

—2—

- 2 -

4. उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विलेखों में भी यदि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित का अंतरिती के रूप में हिस्सा रू० 20 लाख तक का है तो इस सीमा तक उन्हें छूट का लाभ अनुमन्य होगा।

भवदीय,



(हिमांशु कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 583(1)/94-स्टा०नि०-2-2018. तददिनांक

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(लाल)

संयुक्त सचिव।

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्र संख्या:-177 विविध/2013-7विविध/2009

दि: 30 सितम्बर, 2013

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय:-वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों एवं पुलिस बल के जवानों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-982 सीएसी/2002-52सीएसी/78 दिनांक 23.05.2002 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निदेशक मण्डल द्वारा 153वीं बैठक दिनांक 01.05.2002 में लिये गये निर्णय के अनुसार सैन्य बल के सैनिकों/अधिकारियों को युद्ध एवं शान्ति के समय वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किये जाने पर निगम बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी, के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भेजे गये थे। इस परिपत्र के अनुसार निम्न वीरता पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य की गयी थी:-

1. परमवीर चक्र।
2. अशोक चक्र।
3. सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल।
4. परम विशिष्ट सेवा मेडल।
5. महावीर चक्र।
6. कीर्ति चक्र।
7. उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
8. अति विशिष्ट सेवा मेडल।
9. वीर चक्र।
10. शौर्य चक्र।
11. युद्ध सेवा मेडल।
12. सेना मेडल।
13. विशिष्ट सेवा मेडल।
14. मेन्सन इन डिस्पैचेज।
15. चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड।

उपरोक्त अंकित बिन्दु संख्या-15 में "चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड" का उल्लेख होने के फलस्वरूप मात्र थल सेना के "कमेन्डेशन कार्ड" धारकों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध हो पा रही थी तथा नौ सेना एवं वायु सेना के सैनिकों/अधिकारियों के उक्त "कमेन्डेशन कार्ड" धारकों को निगम बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी।

अतः उपरोक्त अंकित बिन्दु 15 के समतुल्य निम्न 2 श्रेणियों से पुरस्कृत व्यक्तियों को भी निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्णय निगम निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.09.2013 को आयोजित 195वीं बैठक में लिया गया है:-

1. चीफ ऑफ द नेचल स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड।
2. चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड।

इस सुविधा हेतु पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 23.05.2002 में निर्धारित नियम और शर्तें पूर्ववत् प्रभावी होंगी।


23/9/13
(राजेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. समस्त अधिकारी उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. जन सम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।


(राजेश वर्मा)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन)

संख्या-15 मु.स.स. / 48-2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

सैनिक कल्याण अनुभाग:

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2016

विषय: सैनिक एवं उनके परिवारजनों की शिकायतों/समस्याओं का प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से निराकरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या-1244/48-2008-96(विधि)/91 टी.सी.ओ. दिनांक 20.09.2008, शासनादेश संख्या-1224/48-2008-96(विधि)/91 टी.सी.ओ.-11 दिनांक-17.09.2008 एवं शासनादेश संख्या-09सी.ओ.एम. / 48-2015 दिनांक-30.03.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से "जिला सैनिक बन्धु" का गठन एवं लोकवाणी योजना द्वारा सैनिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु तत्परतापूर्वक कार्यवाही किये जाने के संबंध में दिस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- विभिन्न प्रकरणों में जमानों के द्वारा अपने गृह स्थान पर होने वाली कठिनाइयों के संबंध में "जिला सैनिक बन्धु" की बैठकों में जनपदीय अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही न करने पर वह अपने अल्प अवकाश की अवधि में अनेक घरेलू समस्याओं जैसे-सम्पत्ति, भूमि विवाद तथा असांगजिल तत्वों द्वारा उत्पन्न की जा रही छोटी-छोटी समस्याओं को भी नहीं सुलझा पाते हैं, जिससे उत्पन्न मानसिक अशान्ति सैनिकों के मनोबल को प्रभावित करती है।

3- जिला सैनिक बन्धु का गठन /लोकवाणी योजना का प्रारम्भ भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों की समस्याओं का सुनियोजित एवं समयबद्ध रूप से निराकरण किये जाने हेतु किया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सैनिकों की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है और सैनिक बन्धु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं जिससे भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण रागण से नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति राष्ट्र हित में उचित नहीं है।

4- अतः उपर्युक्त के संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ कि उक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रत्येक माह सैनिक बन्धु की बैठक नियमित रूप से कराते हुये सेवारत एवं पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार से प्राप्त शिकायतों व समस्याओं का समयबद्ध रूप से निस्तारण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सज सहायता संस्थान

इतिहास:- इसकी स्थापना 10 दिसम्बर, 1963 को मुख्यमंत्री सुरक्षा कोष में जमा धन में से रु. 1.5 करोड़ की धनराशि से की गयी थी। यह धनराशि एक ट्रस्ट के रूप में विनियोजित है, जिसके निर्णायक (Settler) मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश हैं।

उद्देश्य : संस्थान का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आक्रमण के समय अथवा वाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इन्सरजेन्सी (आतंकवाद) की घटनाओं/आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका में आपरेशन पवन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/दैविक-आपदाओं एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/विशेष अभियानों में मृत/स्थाई रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पुलिस/पी.ए.सी./विशेष पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, की भलाई के लिये योजनायें संचालित करना है। अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया आदि का उल्लेख संस्थान की वेबसाइट <http://uppafss.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

लाभार्थी : उपरोक्त श्रेणी के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों/पति/पत्नी/माता/पिता /बच्चे/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे तथा माँ-बाप के न होने पर पूर्णयता आश्रित हों, को संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।

संचालित योजनायें : उपरोक्त वर्णित घटनाओं/परिस्थितियों में सशस्त्र सैन्यबल/पुलिस एवं पी.ए.सी. कर्मियों के वीरगति अथवा स्थायी रूप से अपंगता के आधार पर सेवा निवृत्त होने की दशा में अनुग्रह अनुदान प्रदान करना।

- (क) जीवन निर्वाह हेतु सहायता।
- (ख) लड़कियों के विवाह में सहायता।
- (ग) विशेष चिकित्सा जैसे : कैंसर, हृदय प्रत्यारोण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता।
- (घ) लाभ-भोगियों के बच्चों को वार्षिक शिक्षा सहायता।

संस्थान द्वारा विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता की दरें निम्नवत् हैं :-

(क) वीरगति को प्राप्त मामलों में अनुग्रह अनुदान :-

	दिनांक 15.6.12 से 18.7.13 तक	दिनांक 19.7.13 से 03.10.18 तक	दिनांक 04.10.18 से
1. वीरगति को प्राप्त मामलों में	4,00,000	6,00,000	10,00,000
2. स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में (अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर)	1,75,000	3,00,000	6,00,000

(ख) जीवन निर्वाह हेतु :-

(एक मुश्त एक बार हवलदार रैंक तक के मामलों में ही सहायता प्रदान की जाती है)

—	20,000	—
---	--------	---

(ग) लड़कियों की शादी हेतु :-

(यह सहायता हवलदार रैंक तक के मामलों में ही प्रदान की जाती है)

—	1,50,000	2,00,000
---	----------	----------

प्राधिकार : उ.प्र. सचिवालय पत्र संख्या : अ.शा.प.सं.—टी—1861 दस—13/71 दिनांक 17, अक्टूबर, 18।

(अनुग्रह अनुदान के आवेदन पत्र का प्रारूप पृष्ठ सं0—64 पर देखें)।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि

1. उत्तर प्रदेश शासन, सैनिक कल्याण अनुभाग की अधिसूचना सं0 468/48/83.एस.के. 11-2-(13)/79, दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा यू0पी0 पोस्टवार सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा यू0पी0 स्पेशल फण्ड ट्रस्ट नामक दो ट्रस्टों को समामेलित कर उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया। भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा दी गयी कार्पस धनराशि के प्राप्त ब्याज से इस कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि की प्रबन्ध समिति निम्नवत् है :-
 - क. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश — अध्यक्ष
 - ख. चीफ ऑफ स्टाफ, मध्य कमान — प्रथम उपाध्यक्ष
 - ग. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 — द्वितीय उपाध्यक्ष
 - घ. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी द्वारा नामित दो पूर्व सैनिक अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों।
 - च. श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दो व्यक्ति जो पूर्व सैनिकों के कल्याण में रुचि रखते हों।
 - छ. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एक व्यक्ति जो पूर्व सैनिकों के कल्याण में रुचि रखता हो।
 - ज. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि
2. टाटा एजुकेशन एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट, मुम्बई द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में टाटा ट्रस्ट द्वारा निधि की दो योजनाओं (वार्षिक शैक्षिक सहायता एवं NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सहायता) हेतु वर्ष 2018-19 से तीन वर्षों तक रू0 1.00 करोड़ (प्रतिवर्ष) दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा संचालित योजनाएं

- (अ) वार्षिक शैक्षिक सहायता योजना
- (ब) जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु दी जानेवाली आर्थिक सहायता (रू0 50,000 /-)
- (स) भू0पू0 सैनिकों/उनकी विधवाओं द्वारा स्वरोजगार हेतु लिये गये ऋण में छूट देना
- (द) NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले उत्तर प्रदेश के जे0सी0ओ0 रैंक तक के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को एकमुश्त धनराशि रू0 50,000 /- की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना।
- (य) अनकवर्ड स्कीम ग्रांट के अन्तर्गत आर्थिक सहायता
- (र) भू0पू0 सैनिकों के पुनर्वास हेतु दुकानों का आवंटन

सैनिक पुनर्वास निधि का पता— गेट नं0-9, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।

दूरभाष— 0522-2239523

ईमेल— upspn-lko@up.gov.in

विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.upspnlko.up.gov.in पर उपलब्ध है

उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम द्वारा सैनिकों के पुनर्योजन में सहायता

उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम, अवकाश प्राप्त सैन्य सेवा कर्मियों का अग्रणी प्रमुख कल्याणकारी संस्थान है। यह संस्था उत्तर प्रदेश सरकार का एक उपक्रम है, जो कि कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत पूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित की गयी है। निगम का कार्य पूर्व सैनिकों/आश्रितों के लिये रोजगार उपलब्ध कराते हुये उन्हें समाज में ससम्मान जीवनयापन कराना है।

1. निगम की कल्याणकारी योजनायें:-

- क. विधवाओं, गरीबों एवं अशक्त पूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता।
- ख. पूर्व सैनिकों एवं विकलांग पूर्व सैनिकों/आश्रितों को समुचित आर्थिक सहायता।
- ग. पूर्व सैनिक की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता।
- घ. पूर्व सैनिक आश्रितों हेतु प्रशिक्षण (आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, आई0टी0, एस0एस0बी0, यू0पी0एस0सी0, डाक्टर, इंजीनियर इत्यादि संबंधी।)

2. निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें :-

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| क. सुरक्षा सेवायें | ख. लिपिक एवं आशुलिपिक सेवायें |
| ग. डाटा इन्ट्री आपरेटर | घ. ड्राईवर |
| च. हास्पिटल स्टाफ | छ. तकनीकी सेवायें |
| ज. पर्यटन पुलिस सेवायें | झ. अग्नि शमन सेवायें |

3. निगम में नियुक्ति हेतु वांछित पूर्व सैनिक निम्न विवरणानुसार निगम मुख्यालय अथवा निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं। रोजगार हेतु निम्न दी गयी वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाइन पंजीकरण कराया जा सकता है।

उ0प्र0 पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0

कैनाल रिंग रोड, देवी खेड़ा, निकट एन0बी0एफ0जी0आर0

पोस्ट-दिलकुशा, लखनऊ-226002

दूरभाष नं0 - 0522-2998005, 6570923 फैक्स नं0- 0522- 2443092

ई-मेल - md@upsainiknigam.com

वेबसाइट - http://upsainiknigam.com

टोल फ्री हेल्पलाइन - 1800-2747-1800

4. क्षेत्रीय कार्यालयों के पते –

UP PURVA SAINIK KALYAN NIGAM LIMITED REGIONAL OFFICE

S No	RO	Address	Phone / Mobile Nos	Email id
1.	Agra	Nihal Complex, Opp. Soham Ashram, Sikandra-Bodla Road, Sec.-5, Awas Vikas Colony, Sikandra, Agra-282007	0562-2400981 7860030483	agmagra@upsainiknigam.com
2.	Prayag	House No 128A/7A, Bholi Ka Purwa, Ward No. 2, Dhooman Ganj, Prayag - 211011	0532-2422066 7860030482	agmallahabad@upsainiknigam.com
3.	Bareilly	Krishna Colony Near Green Park, Bishalpur Road, Harunagal, Bareilly(UP)-243001	0581-2523008 7860030481	agmbareilly@upsainiknigam.com
4.	Gorakhpur	Near Garima Hospital, Opp. Hotel Avantika, Mohaddipur, Kunraghat, Gorakhpur 273008	0551-2202752 7860030480	agmgorakhpur@upsainiknigam.com
5.	Jhansi	Jhalkari Bai Commercial Complex, Near RTO Office, Kanpur Road, Jhansi - 284001	0510-2448375 7860030479	agmjhansi@upsainiknigam.com
6.	Kanpur	144/A 1 st Floor, Vikas Nagar, PO- Vikas Nagar, Kanpur 208024	0512-2582696 7860030478	agmkanpur@upsainiknigam.com
7.	Lucknow	Canal Ring Road, Near NBFGR, P.O. Dilkusha, Lucknow –226 002.	0522-2446053 7860030417	agmlucknow@upsainiknigam.com
8.	Meerut	B 357, Defence Enclave. Kankar Khara, Meerut - 250001	0121-2632860 7860030476	agmmeerut@upsainiknigam.com
9.	Noida	H-11, Bishanpura, Sector-58, Noida -201301	0120-4213346 09871786998	agmnoida@upsainiknigam.com
10.	Varanasi	House No. C-12, D.I.G. Colony, Maqbool Alam Road, Infront of Income Tax Office, Varanasi- 221002	0542-2500511 7860030475	agmvaranasi@upsainiknigam.com

उत्तर प्रदेश शासन
सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या-155/48-2018-14 (विविध)/2017
लखनऊ: दिनांक : 19 मार्च, 2018

आदेश

सशस्त्र सेना के तीनों सेनाओं (थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना) और अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत रहते हुये कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में लिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2. उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शहीद सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में सेवार्योजित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल किनवध/नियम/उप नियम/उपबन्ध एवं व्यवस्थायें विनिर्दिष्ट करते हैं -

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ एवं
विस्तार

1. (क) यह आदेश उत्तर प्रदेश के मूल निवासी (Domicile) शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के संवध में कार्यकारी आदेश के नाम से अभिज्ञात होगा।

(ख) यह आदेश वर्ष 2017-18 के भाद्र अप्रैल के प्रथम दिवस या उसके बाद के शहीद सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों को शासकीय सेवा में नियोजित करने के परिप्रेक्ष्य में लागू होगा।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्यकालाप से संबंधित लोक सेवाओं और अन्य पदों पर शहीदों के आश्रितों को सेवार्योजित किया जायेगा किन्तु यह उन सेवाओं और पदों पर लागू नहीं होगा जो उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं।

परिभाषण

2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस आदेश के अन्तर्गत -

(क) शहीद (Battle Casualty) सैनिकों का तात्पर्य

सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों के कार्यकालाप के संवध में सेवार्योजित स्थायी/अस्थायी रूप से नियुक्त/कमीशण्ड आफिसर/सैनिक हैं जिनका कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध, गोलाबारी, बेटल एक्सीडेन्ट, खीना पर फुट-गुट/आतंकवादी घटनाओं तथा अराजकताओं की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा एवं वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुये हैं। अधवा

(ख) कर्तव्य पालन के दौरान बिन्दु (क) पर बर्णित घटनाओं के समय ऐसे जापता शहीद जिसे संबंध न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया गया हो।

(ग) शहीद के आश्रितों के अन्तर्गत दरीयता क्रम में निम्नलिखित जाने जायेंगे :-

(शहीद सैनिक के विवाहित होने की स्थिति में)

1. पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो)
2. पुत्र/विधवा पुत्रपथु।
3. अविवाहित पुत्रियाँ
4. कानून रांगत दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्रियाँ
5. पिता/माता

परन्तु उक्त आश्रितों के शारीरिक/मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित पौत्र/अविवाहित पौत्रियों आश्रित की श्रेणी में माने जाने जायेंगे।

(शहीद सैनिक के अविवाहित होने की स्थिति में)

1. पिता/माता
2. अविवाहित भाई
3. अविवाहित बहन
4. विवाहित भाई

- (3) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पद से संबंधित नियमावली में वर्णित नियुक्ति अधिकारी से है।
- सेवायोजन हेतु आवेदन एवं उसकी प्रक्रिया का निर्धारण
3. शहीद के आश्रित की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र राशस्त्र बल की तीनों शनाओं के लिए सैनिक कल्याण विभाग, उ०प्र० तथा अर्द्धसैनिक बल के लिए गृह विभाग, उ०प्र० को सम्बोधित किया जायेगा, जिसमें अन्य अशिक्षित तथ्यों के साथ-साथ पूरा शहीद की मृत्यु का दिनांक, सेना/अर्द्धसैनिक बल की इकाई एवं पद, (जिस पर पद अपने मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था) का भलीभाँति उल्लेख किया जायेगा। आवेदन पत्र में परिवार का विवरण, आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएँ, एवं मृतक शहीद के परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी आयु, विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी विवरण भी उल्लिखित किये जायेंगे।
- सेवायोजन हेतु दिनांक का आवेदन
- (4) सैनिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं गृह विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने-अपने विभाग में शहीद आश्रितों के प्राप्त सेवा संबंधी आवेदन पत्र को विभागों की रोस्टर प्रणाली के अनुसार सेवायोजन हेतु संबंधित विभाग को अवदित किया जायेगा।
- पद के लिए शैक्षिक अर्हताएँ
- (5) शहीद के आश्रित के किसी सदस्य की भर्ती हेतु यह आवश्यक होगा कि वह पद के लिये थिदिद शैक्षिक अर्हताएँ पूरी करता है। परन्तु भारत सरकार/राज्य सरकार व उनके अधीन आई सरकारी संस्थानों में कार्यरत/सेवानियुक्त कर्म एवं संवैधानिक पदों पर कार्यरत/पूर्त में कार्य कर चुके शहीद के आश्रित सेवा के योग्य नहीं माने जायेंगे।
- सेवायोजन हेतु वरीयता का निर्धारण
- (6) यदि शहीद के परिवार के एकाधिक सदस्य सेवायोजन हेतु पत्र है तो ऐसी दशा में वरीयता में पहले आने वाले आश्रित द्वारा यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह सेवायोजन हेतु अपने अवसर को अगली वरीयता के आश्रित को हस्तान्तरित कर रहे है, तभी अगली वरीयता के आश्रित को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवायोजित किया जायेगा। सेवायोजित करते समय समस्त परिवार विशेष रूप से उसके माता/पिता तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को ध्यान में रखा जायेगा।
- सेवायोजन हेतु आयु
- (7) शहीद के आश्रित की नियुक्ति हेतु अन्वर्थी की आयु नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अविध्वंसा आयु पूरी कर चुके आवेदकों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- सेवायोजन हेतु रोस्टर प्रणाली का तैयार किया जाना।
- (8) शहीद के आश्रित की भर्ती/नियुक्ति हेतु विभागों की रोस्टर प्रणाली तैयार करके प्राप्त आवेदनों को अवदित करके सेवायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
- रिक्ति की विद्यमानता न होने की दशा में अधिसंख्य पदों का सृजन।
- (9) संबंधित विभाग में रिक्ति की विद्यमानता न होने की दशा में ऐसी नियुक्ति अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलता रहेगा जब तक कोई नियमित रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।
- उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन
- (10) शहीदों के आश्रितों की नियुक्ति/सेवायोजन प्रदान किये जाने के संबंध में एवं विभागांतर रोस्टर निर्धारण हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में निम्नवत् उच्चतमधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है -
- (1) मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन - अध्यक्ष
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन - सदस्य
(रोस्टर में शामिल विभाग)

(3)

उपर्युक्तानुसार गठित समिति द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा :

सेवायोजन हेतु नोडल विभाग

(11) सशस्त्र बल के तीनों सेनाओं के मृतक आश्रितों के लिए सैनिक कल्याण विभाग, उ०प्र० एवं अर्द्धसैनिक बल के मृतक आश्रितों के लिए गृह विभाग, उ०प्र० नोडल विभाग होंगे जो समय-समय पर मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

कठिनाईयों का निवारण

(12) मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस आदेश के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई/बुद्धि को दूर करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, जिसे यह इस प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन समझे।

3.

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के प्रयोजनार्थ इस आदेश में वर्णित एवं उल्लिखित उपबन्धों का अन्तर्गत अनुपालन प्रदेश शासन के अन्तर्गत समस्त विभागों पर बाध्यकारी होगा।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 156 (1)/48-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. रामरत्न अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(कागता प्रसाद)
उप सचिव।

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ.प्र.
लखनऊ।

सैनिक कल्याण अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2018

विषय : वर्ष 1986 के पूर्व के वीर चक्र श्रृंखला व सेना मेडल, मेन्शन-इन-डिस्पैच के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एकमुश्त धनराशि एवं वार्षिकी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल एवं वायु सेना के ऐसे सैनिकों जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा युद्ध क्षेत्र में वीरता प्रदर्शित करने के फलस्वरूप परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल (वीरता), मेन्शन-इन-डिस्पैच से वर्ष 1986 से पूर्व विभूषित किया गया है, को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों पर नकद पुरस्कार दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :-

क्रम सं.	पदक का नाम	एक मुश्त	वार्षिकी
1.	परमवीर चक्र	32,50,000	1,95,000
2.	महावीर चक्र	19,50,000	1,48,200
3	वीर चक्र	13,00,000	85,800
4	सेना / नौ सेना / वायु सेना मेडल (वीरता)	39,000	6,240
5.	मेन्शन-इन-डिस्पैच	32,500	3,900

2. उपर्युक्त पुरस्कारों के लिये एकमुश्त एवं वार्षिकी की उक्त दरें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उपर्युक्त स्वीकृत नकद अनुदान पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-104-विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार-04-वीर चक्र श्रृंखला (परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र) के विजताओं को राज्य सरकार का एकमुश्त नकद पुरस्कार/अनुदान-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-104-विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार-05-बार-टू-सेना मेडल (सेना मेडल (वीरता), मेन्शन-इन-डिस्पैच) के पुरस्कार प्राप्त उ.प्र. के सैनिकों को एकमुश्त नकद पुरस्कार-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या : ई-4-38/दस-2018 दिनांक 22.05.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(कामता प्रसाद)
उप सचिव

संख्या : 262(1) / 48-2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, वित्त / सामान्य प्रशासन / गृह एवं गोपन विभाग ।
3. महालेखाकार, लेखा प्रथम / आडिट प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. समस्त कोषाधिकारी उ.प्र. (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण) ।
5. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण) ।
6. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
7. महानिदेशक, पुनर्वास, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उ.प्र. (द्वारा निदेशक सैनिक कल्याण) ।
9. जनरल आफिसर कमाण्डिंग इन चीफ, सेन्ट्रल कमाण्ड लखनऊ ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 / 4 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(कामता प्रसाद)
उप सचिव

विश्राम गृह-लखनऊ

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, लखनऊ के प्रांगण में पूर्व सैनिकों के ठहरने के लिए विश्राम गृह की व्यवस्था है। विश्राम गृह में छः कमरे अधिकारियों के लिए, चार कमरे जेसीओ एवं चार कमरे जवानों के परिवारों के लिए हैं। इसके अतिरिक्त चार डोरमैट्रीज भी है। वृद्ध एवं अशक्त पूर्व सैनिकों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। विश्राम गृह कैसर बाग, बस स्टैंड के पास स्थित है तथा लखनऊ रेलवे स्टेशन से आसानी पहुँचा जा सकता है।



विश्रामगृह की बुकिंग एवं जानकारी के लिए
0522-2622367 एवं 7839553254 पर सम्पर्क करें

**भारत सरकार
द्वारा देय सुविधायें**

भारत सरकार द्वारा देय सुविधायें

भारत सरकार अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए तमाम सुविधाएं एवं रियायतें प्रदान करती है जिसकी अधिसूचना समय-समय पर जारी की जाती है। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की भूमिका अहम है, जिसकी विस्तृत जानकारी के.एस.बी. की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

1. भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा देय आर्थिक सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :-

S.No.	Financial Assistance	Amount (in Rs.)
1.	Penury Grant (above 65 yrs.) (Non-Pensioner upto Hav Rank or his widow)	4,000/- pm w.e.f. 01/04/2017 (life time)
2.	Education Grant to ESM or their widows (max two children) (Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank) i) Boys/Girls up to Graduation ii) Widows up to PG	1,000/- pm
3.	100% disabled Child of ESM	1000/-pm
4.	Officer Cadet Grant (For Cadets of NDA only) (Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	1,000/- pm
5.	100% Disabled Children (Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	1,000/- pm
6.	House Repair (Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank) <ul style="list-style-type: none">• 100% Disabled ESM• Orphan Daughter(of all Rank)	20,000/-
7.	Daughter's Marriage (02 Daughters) (Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	50,000/-
8.	Funeral Allowance (Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	5,000/-
9.	Medical Treatment (Non Pensioner up to Hav Rank)	30,000/- (per year max)
10.	Orphans Grant on yearly Basis (Pensioner/Non Pensioner all Rank) <ul style="list-style-type: none">• Daughter of Ex-Servicemen till she is married• Son of Ex-Servicemen upto 21 years of age	1,000/- pm

11.	Vocational Trg for Widows (Pensioner/Non Pensioner up to Hav Rank)	20,000/- (One Time)
12.	Treatment of Serious Diseases (non pensioners/widows non members of ECHS and not availing AFMS facilities)	20,000/- Max
13.	Mobility Equipment for Disabled (ESM who are disabled after their retirement)	Rs. 57,500/- Disability should be 50% or more
14.	Prime Minister Scholarship Scheme (PMSS)	;a) Rs. 2500/- pm for boys (b) Rs. 3000/- pm for girls -Paid annually -60% Marks in 12 th onwards
15.	Issue of Identity Card to War Widows (for 75% Concession in Rail Travel second/sleeper class and in Air India).	Online started
16.	War Memorial Hostel - Rs. 1350/ pm (36 War Memorial Hostels provide shelter for War Widows/ War disabled Soldiers, attributable/non attributable cases).	

2. पूर्व सैनिकों / सैनिक विधवाओं के आश्रितों के लिए पहचान-पत्र

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं तथा आश्रितों हेतु दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों को प्राप्त करने के लिए पहचान-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की गयी है। प्राधिकार पत्र संख्या : 061/पॉलिसी/जनरल पॉलिसी/Vol-1 दिनांक 14 जुलाई 2017 (आवेदन पत्र प्रारूप पृष्ठ संख्या – 46 पर देखें)।

3. शैक्षिक अर्हता में छूट

सेना में की गयी 15 वर्ष की सेवा के उपरान्त सेवा निवृत्त हुए पूर्व सैनिकों जिन्हें इण्डियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजूकेशन तथा जल एवं वायु सेना में इसके समकक्ष प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो उन्हें 50% अंक के साथ 10 + 2 उत्तीर्ण समझा जाएगा ताकि पूर्व सैनिक प्रारम्भिक शिक्षण प्रोग्राम में भाग ले सकें।

प्राधिकार : भारत सरकार, मानव संसाधन विकास एवं स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मंत्रालय, नई दिल्ली पत्र संख्या F No-1-22/2012-EE-4(P) दिनांक 23 अगस्त 2017, पृष्ठ संख्या – 47 पर देखें।

4. पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.)

पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन ई.सी.एच.एस. की योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र सभी पूर्व सैनिक, सेना चिकित्सालयों के अलावा केन्द्र तथा राज्य के चिकित्सा प्रतिष्ठानों/प्राइवेट अस्पतालों (Empanelled Hospitals) आदि में भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उ.प्र. में स्थित ई.सी.एच.एस. पॉलीक्लीनिक की जानकारी पृष्ठ संख्या – 48 से 50 पर देखें।

5. 08 प्रतिशत रक्षा कोटे के अन्तर्गत गैस एजेन्सी एवं पेट्रोल पम्प का आवंटन

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या-1420/डीजीआर/एस0ई-2/ऑयल/जीएल, दिनांक 13 अगस्त 2010 के अन्तर्गत प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार गैस एजेन्सी एवं पेट्रोल पम्प आवंटन सम्बन्धित प्रक्रिया निम्नानुसार है (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पत्र संख्या : P/39012/1/1999-IOC दिनांक : 09 अक्टूबर 2000) :-

8 प्रतिशत रक्षा कोटे के अन्तर्गत आयल कंपनियों द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, जो निम्न वरीयता के अनुसार देय है :-

- (क) मरणोपरान्त वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवायें/आश्रित
- (ख) युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवायें/आश्रित
- (ग) 20 प्रतिशत या अधिक अपंगता वाले युद्ध में अपंग हुए सैनिक
- (घ) सैनिक सेवा के कारण सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त सैनिकों की विधवायें/आश्रित
- (च) सैनिक सेवा के कारण शान्ति के दौरान अपंग हुए सैनिक (अपंगता 20 प्रतिशत या उससे अधिक)।

विज्ञापन के आधार पर ही प्रपत्र संबंधित आयल एजेन्सी के डिवीजनल/रीजनल/एरिया अधिकारी को रू0 1000/- के भुगतान से प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन का प्रत्यावेदन सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के माध्यम से अर्हता प्रमाण हेतु डी.जी.आर. कार्यालय, नई दिल्ली को वरीयता के अनुसार भेज दिया जाता है।

6. शैक्षणिक शुल्क में रियायतें

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को शैक्षणिक शुल्क में रियायतें प्रदान की गई है।

प्राधिकार पत्र सं0 : 6-1/2009/Edu.concession/III/D (Res) दिनांक 25 अक्टूबर 2010, पृष्ठ संख्या – 51 से 52 पर देखें।

7. ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र की अंतिम तिथियां

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ने वर्तमान वर्ष में विभिन्न योजनाओं के प्रार्थना-पत्र प्रेषण की अंतिम तिथियों की अधिसूचना जारी की है, जो भविष्य में मार्गदर्शन के लिए सहायक है।

प्राधिकार पत्र संख्या : 195/Welfare/Misc/2019-20 दिनांक 23 अप्रैल, 2019 पृष्ठ संख्या – 53 से 55 पर देखें।

8. जीवित प्रमाण-पत्र

पेंशनर्स को प्रतिवर्ष नवम्बर माह में स्वयं बैंक शाखा में जाकर 'जीवित प्रमाण-पत्र' देना अनिवार्य है अन्यथा पेंशन बंद कर दी जाती है। जीवित प्रमाण-पत्र भरने के लिए आधार संख्या, आयकर पैन संख्या, पी.पी.ओ. न0, पेंशन खाता संख्या, ई-मेल आईडी, मो. न0, पति अथवा पत्नी के जन्मतिथि आदि की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बैंक डिजिटल जीवित प्रमाण-पत्र भी स्वीकार करते हैं जिसे अपने घर, साइबर कैंफे, ई.सी.एच.एस. पॉलीक्लीनिक, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, पूर्व सैनिक हेल्पडेस्क आदि के माध्यम से दिया जा सकता है।

**WELFARE SCHEMES MANAGED BY REHABILITATION AND WELFARE SECTION (CORPUS)
DIRECTORATE OF INDIAN ARMY VETERANS (DIAV)**

1. R&W Section (Corpus)/DIAV provides various welfare schemes/grants to NOK of soldiers, who die in harness and soldiers who get disabled while in service. The details of schemes/grants are as under :-

PHYSICAL CASUALTY (FATAL)

Welfare Schemes		Amount
Education Grant Class 1 st onwards Including suicide cases.	Class I to Class VIII	Rs 10,000/- (Per annum)
	Class IX to Class XII	Rs 14,000/- (Per annum)
	Graduation	Rs 20,000/- (Maximum per annum)
	Post Graduation	Rs 25,000/- (Maximum per annum)
	Professional Course	Rs 50,000/- (Maximum per annum)
Widow Higher Education. Widows of soldier who die in harness.	Graduation	Rs 20,000/- (Maximum per annum)
	Post Graduation	Rs 25,000/- (Maximum per annum)
	Professional Course	Rs 50,000/- (Maximum per annum)
One time Computer Grant. For wards and widows pursuing graduation and above.		Rs 35,000/-
Daughter's Marriage/Re-marriage of widow/ Orphan Son's marriage.		Rs 1,00,000/-

PHYSICAL CASUALTY (DISABLED)

Welfare Schemes	Amount
Modification of Car/Modified Auto scooter /Second issue of modified auto scooter (after 15 years of first issue). Soldiers disabled while in service. The individual should be an amputee, paraplegic and quadriplegic only.	Rs 70,000/- (Maximum)
Wheel Chair/ Second Issue of Wheel Chair (after 7 years of first issue) Soldiers disabled while in service. The individual should be an amputee, paraplegic and quadriplegic only.	Rs 50,000/- (Maximum)
Modification of Bathroom. Soldiers who get disabled while in service with 100% disability and wheel chair bound.	Rs 40,000/-

BATTLE CASUALTY (FATAL)

Welfare Schemes		Amount
Education Grant. After first degree course	Post Graduation	Rs 25,000/- (Maximum per annum)
	Professional Course	Rs 50,000/- (Maximum per annum)
Widow Higher Education.	Graduation	Rs 20,000/- (Maximum per annum)
	Post Graduation	Rs 25,000/- (Maximum per annum)
	Professional Course	Rs 50,000/- (Maximum per annum)
One time Computer Grant. For wards and widows pursuing graduation and above.		Rs 35,000/-
Daughter's Marriage/ Re-marriage of widow/Orphan Son's marriage.		Rs 1,00,000/-

BATTLE CASUALTY (DISABLED)

Welfare Schemes		Amount
Education Grant. After first degree course	Post Graduation	Rs 25,000/- (Maximum per annum)
	Professional Course	Rs 50,000/- (Maximum per annum)
Modification of Car/Modified Auto scooter /Second issue of modified auto scooter (after 15 years of first issue). Soldiers disabled while in service. The individual should be an amputee, paraplegic and quadriplegic only.		Rs 70,000/- (Maximum)
Wheel Chair/ Second issue of Wheel Chair (after 7 years of first issue) Soldiers disabled while in service. The individual should be an amputee, paraplegic and quadriplegic only.		Rs 50,000/- (Maximum)
Modification of Bathroom. Soldiers who get disabled while in service with 100% disability and wheel chair bound.		Rs 40,000/-
Daughter's Marriage/ Re-marriage of widow/Orphan Son's marriage. Disabled soldiers (battle casualty non-fatal), with disability more than 60% and invalided out of service by medical board.		Rs 1,00,000/-

Note :

2. Education grant is presently available for the academic year 2018-19. Last date of submission of application is 30 Nov 2019. There is no bar on number of children. Application forms and guidelines can be downloaded at www.indianarmyveterans.gov.in. Documents to be submitted for education grant are as under :-

- (a) Application form duly countersigned by the Principal of the school/college.
- (b) Fees receipts in original for the academic year 2018-19.
- (c) Copy of the mark sheet of the class passed, as on Mar 2019.
- (d) Copy of the service booklet to include the details of wards.
- (e) A cancelled cheque.
- (f) Education entitlement card (only for battle casualties)

3. There is only one form for the education grant, one time computer grant and widow higher education.

4. For One Time Computer Grant for wards and widows of soldier studying in Graduation and above. Attach Bill for Computer alongwith all above documents.

5. **Contact details are as under :-**

Director (Corpus)
Rehabilitation and Welfare Section
Directorate of Indian Army Veterans (DIAV)
AG's Branch, Integrated HQ of MoD (Army)
104, Cavalry Road, Delhi Cantt -110010
Tele No : 33344 (Army), 011-25674067 (Civil)
Email : mwcorpus@gmail.com

**APPLICATION CUM RECORD CARD FOR EX-SERVICEMEN
DEPENDENT IDENTITY CARD**

Passport Size
Photo of
dependent duly
attested by HoD
with blue
background
without spectacles
and head hear.

**PART - I
PARTICULARS OF EX-SERVICEMEN
(TO BE FILLED IN CAPITAL LETTER ONLY)**

1. Rank.....2. Name..... 3.
No..... 4. Date of birth..... 5. Date joined
service.....
6. Date of retirement..... 7. PPO Number.....
8. ESM ID No.....9. Office Tel No.....
10. Mobile No.....
11. Permanent home address.....
.....
.....

**PART - II
PARTICULARS OF DEPENDENT**

1. Name..... 3. Sex..... 3.D.O.B.....
4. Relationship..... 5. Aadhar Number.....
6. Identification Marks.....
7. Signature of Dependent 8. Left thumb impression of Dependent

PART - III

I hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge.

Place:

Date:

Signature of ESM

PART - IV

Place:

Date:

Signature.....

ZSWO / Dir, RSB

PART - V

Dependent Identity Card No..... valid up to.....
Issued on.....

(Signature)
Issuing Authority

F No-1-22/2012-EE-4(P)

Government of India

**Ministry of Human Resources Development Department of School
Education and Literacy, New Delhi**

Dated : 23 Aug 2017

**SUBJECT-CLARIFICATION REGARDING EQUIVALENCE TO GRADUATION
CERTIFICATE ISSUED AND REQUISITE QUALIFICATION TO IN-SERVICE
TEACHER BELONGING TO EX-SERVICEMEN CATEGORY**

Sir/Madam,

1. This Ministry has received several representation on the determination of equivalency of qualifications in respect of personnel hailing from Ex-Servicemen category. It was requested to clarify whether an Ex-Servicemen who is a Matriculate and possessing Indian Army Special Certificate of Education or its equivalent certificates in the Navy or Air Force and has put in not less than 15 years of service or issued with a Graduation Certificate for re-employment purpose, as equivalent to Higher Secondary with 50 % marks.
2. This matter has been examined in light of various provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, DOPT's notification dated 12 Feb 1986, NCTE notification on minimum qualifications of Teachers and recommendations of Expert Committee as formed by NCTE. The recommendations of the Expert Committee of NCTE vide letter No -1769/NCTE/DGR/RES-8 dated 01 Dec 2014 is reproduced as below :-

“An Ex-Servicemen who is a Matriculate and possessing Indian Army Special Certificate of Education or the corresponding certificate in the Navy and Air Force and has put in not less than 15 years service in the Armed Forces has been issued Corporal Certificate of Indian Air Force under Scheme – A should be treated as also having qualified 10+2 with 50% marks. (The minimum eligibility qualification programme through ODL conducted by any institution providing training for untrained in-service teachers working in schools in accordance with approval of NCTE). It will enable the untrained in-service primary teachers from Ex-Servicemen category to under go D.El.Ed. programme through ODL mode”.

3. It has been decided to accept the above recommendations of the Expert Committee of NCTE.
4. This issues with approval of Hon'ble Minister of Human Resource Development.

Yours faithfully,

Sd/-

(Anil Gairola)

Under Secretary to the Govt of India

DETAILS OF ECHS REGIONAL CENTRES, ECHS CELLS & ECHS PCs RC, ECHS, ALLAHABAD				
Ser No	Appt	Tele No	Email ID	Address
	Dir RC ECHS	Mil-6007 & 6509 0532-2420526, 2420792 0532-2420699 (Fax) Mob-9455421866	dirrcallahabad@echgs.gov.in	Regional Centre (ECHS) P-38, Akbar Road, New Cantt, Allahabad (UP) - 211001
	ECHS CELL, STN HQ ALLAHABAD	Mil- 2024 Mob-85730299464	shqallahabad@echgs.gov.in	Stn Cell ECHS, Stn HQ, C/o HQ Purva UP & MP Sub Area, Allahabad- 211001
1	Allahabad	0532-2421704 Mob - 8853478505	allahabad@echgs.gov.in echspolald@gmail.com	ECHS Polyclinic Allahabad, 67, Akbar Road (New Cantt)Allahabad (UP)-211001
2	Pratapgarh	05342 -221010 Mob- 7408640228	pratapgarh@echgs.gov.in echspratapgarh@yahoo.com	ECHS Polyclinic, Bldg No. A-152-153, Indu Vihar, Avs Vikas Colony, Near Meena Bhawan, Pratapgarh (UP)
3	Fatehpur	05180-224966 Mob-7388323933	fatehpur@echgs.gov.in echsfatehpur@gmail.com	ECHS Polyclinic Fatehpur, 2A GautamNagar, Civil Lines, ITI Road, Fatehpur- 212 601
4	Banda	05192-220489 Mob-8933824411	banda@echgs.gov.in echspolclinicbanda@gmail.com	ECHS Polyclinic Banda, 574/7, Tindwari Road, Kalu Kuwan, Banda
	ECHS CELL, STN HQ FAIZABAD	05278-220160 Mob-7838577785	shqfaizabad@echgs.gov.in	Stn HQ Faizabad, UP - 224001
5	Azamgarh	05462-247665 Mob-9838034671/ 7376817523	azamgarh@echgs.gov.in echszazaam@yahoo.com	ECHS Polyclinic Azamgarh, 253-Rai Bhawan, Rahul Nagar Azamgarh (UP)-276001
6	Faizabad	Mil-6540 05278-213489 Mob-9455065085	faizabad@echgs.gov.in echsfazabad@yahoo.com	ECHS Polyclinic Faizabad, MG Road Cantt, Faizabad (UP)-224001
7	Gonda	05252-233227 Mob-9454942414	gonda@echgs.gov.in captainvijaykumar@gmail.com	ECHS Polyclinic Gonda, C/O Dist. Soldier Board, Lucknow Road, Gonda - 271001
8	Sultanpur	05362-228904 Mob-9648489036	sultanpur@echgs.gov.in echssul@radiffmail.com	ECHS Polyclinic Sultanpur, H.No-966, Lal Diggii Civil Lines, Sultanpur (UP)- 228001
	ECHS CELL, STN HQ VARANASI	Mil- 6221/6422 0542-2500790	shqvaranasi@echgs.gov.in	Stn HQ (ECHS Cell) Army PIN-900445 C/o 56 APO
9	Ballia	05498-241989 Mob-8004628630/ 9795616595	ballia@echgs.gov.in echsbaliiaiif@yahoo.com	ECHS Polyclinic Ballia, 2B/359, Avs Vikas, D Colony, Lok Naik Nagar, Ballia-277001
10	Ghazipur	05482-2220946 Mob-9506034201	ghazipur@echgs.gov.in echspolclinicghazipur@gmail.com	ECHS Polyclinic Ghazipur, Zila Sainik Board, Ghazipur (UP)- 233001
11	Jaunpur	0542-2500790 Mob-9450545136	janupur@echgs.gov.in dbydubey@yahoo.com	ECHS Polyclinic Jaunpur, Civil Lines, Sainik Kalyan Office, Jaunpur (UP)
12	Mirzapur	05442-253121 Mob-9918504455/8765752527	mirzapur@echgs.gov.in oicmajansari@gmail.com mzpechs@yahoo.co.in	ECHS Polyclinic Mirzapur, Ghurahu Patti , Mirzapur (UP)
13	Varanasi	0542-2504055 Mob-9506540015	varanasi@echgs.gov.in	ECHS Polyclinic Varanasi, C/o MH Varanasi,
	ECHS CELL, STN HQ KUNDRAGHAT	05512-271248 Mob-9695487008	echscellkundrahat@gmail.com	ECHS Cell, C/o Stn HQ Kundrahat, Gorkhpur (UP)
14	Basti	05542-245077 Mob-8795148689	basti@echgs.gov.in echspolclinicbasti@gmail.com	ECHS Polyclinic Basti, Near Zila Sainik Kalyan Evam- Punarvas Karayala, Dist. Basti, UP-272001
15	Deoria	05568-221198 Fax-0551-227936 Mob-9451257460	deoria@echgs.gov.in echspolclinicdeoria@yahoo.in	ECHS Polyclinic Deoria, Sainik Kalyan Compound, Near SP Office, Deoria, UP- 274001
	ECHS CELL, STN HQ AF STN GORAKHPUR	0551-2272381 Mob- 9696106612		ECHS Polyclinic, C/o 12 AF Hosp, Air Force Station , Gorakhpur - 273002
16	Gorakhpur	0551-2272821	gorakhpur@echgs.gov.in oicchgorakhpur@gmail.com	ECHS Polyclinic Gorakhpur, C/O AF Station, Gorakhpur (UP)- 273002

RC, ECHS, BAREILLY

Ser No	Appt	Tele No	Email ID	Address
	Dir RC	Mil - 6581 0581-2511157(Extn -30) Mob - 9368304602/9458822380 WhatsApp Complaint -860462170	dirrcbareilly@echgs.gov.in	Regional Centre, ECHS, Bareilly, Near Natraj Cinema, Opposite KV No-II, Bareilly
	ECHS CELL, STN HQ AGRA	Mil- 2135 0562-2411201 Mob - 8193884488	shqagra@echgs.gov.in	
1	Agra	0562-2251165 Mob-9198884946	agra@echgs.gov.in echspolyclinicagra2013@rediffmail.com	ECHS Polyclinic Agra, C/O- Mil Hosp Agra , Agra Cantt PIN-282 001
2	Etah	05742-231205 Mob - 9219626252	etah@echgs.gov.in echspolyclinicetah@yahoo.com	ECHS Polyclinic Etah, Opp. Nagar Palika Camping Ground, GT Road, Etah- 207001
3	Firozabad	05612-260373 Mob-9897026062	firozabad@echgs.gov.in echsfzd.1@gmail.com	66 Jain Nagar, Ferozabad ECHS Polyclinic, Ferozabad, PIN- 283203
4	Baghpat	0122-222921 Mob-9917428468	baghpat@echgs.gov.in echsbhp@gmail.com	ECHS Polyclinic Baghpat, Jeevan Deep Hospital Bldg, Delhi Road, Baghpat (UP), PIN250609
5	Bijnore	01342-264003 Mob-8294159228	bijnor@echgs.gov.in echsbijnor@gmail.com	ECHS Polyclinic Bijnor c/o Singh Udar Kutir, Bharat Vihar Colony, Mandawar Road, Bijnore(UP)
6	Muzaffarnagar	0131-2620793 Mob-9797818952	muzaffarnagar@echgs.gov.in echsmzn@gmail.com	ECHS Polyclinic, Muzaffarnagar, Bldg-1315, South Civil Line, Circular Road, Muzaffarnagar, PIN-251001 (UP)
7	Mainpuri	0567-2234008 Mob-9639993330	mainpuri@echgs.gov.in	ECHS Polyclinic Mainpuri, c/o Dr RS Yadav Bldg, H/No 258/5 Mohalla Gariwan in front of Santoshi mata Mandir, Agra Road Mainpuri PIN - 205 001 (UP)
8	Meerut	Mil-43002-6551 0121-2402145 Mob-9758039354	meerut@echgs.gov.in echsmeerut@gmail.com	ECHS Cell, Meerut, C/O - Mil Hospital Meerut Cantt, PIN-250001(UP)
	ECHS CELL, STN HQ MATHURA	Mil-420001-6367 Mob - 7830691007	shqmathura@echgs.gov.in	
9	Hathras	05722-232545 Mob-7500360066	hathras@echgs.gov.in oicchspc336@gmail.com	ECHS Polyclinic Hathras, House No 3, Sector- 4/5, Vaibhav Nagar, Near Navipur, Distt- Hathras (UP) 204101
10	Aligarh	0571-2740415/2740314 Mob-9917114111	aligarh@echgs.gov.in oicchsaligarh@gmail.com	ECHS Polyclinic Aligarh, Vidhaya Nagar Colony, 3/163, Ram Ghat Road, Aligarh- 202001 (UP)
11	Mathura	Mil-420001-6427 0565-2501455 Mob-9412777940/ 9760158605	mathura@echgs.gov.in echspolyclinicmathura@gmail.com	ECHS Polyclinic Mathura, Opp. Mil Hosp Mathura Cantt, PIN-218001 (UP)
	ECHS CELL, STN HQ BAREILLY	Mil- 6246 0581-2510512 Mob - 8415900102	shqbareilly@echgs.gov.in	
12	Moradabad	0591-2413510 Mob-9412235100	moradabad@echgs.gov.in	ECHS Polyclinic, Moradabad , 17, Collectorate Compound, Moradabad - 244001
13	Rampur	0595-2350441 Mob - 9675964505	rampur@echgs.gov.in wg_cdr_g_chadra@yahoo.com	ECHS Polyclinic Rampur, Bldg No 40, Court Road, Civil Lines, Rampur - 244901
14	Badaun	05832-266525 Mob - 9412463001	badaun@echgs.gov.in	ECHS Polyclinic Badaun, House No-459/2, Opp. Islamia Inter College, Court Road, Civil Lines Badaun, PIN- 243601 (UP)
15	Bareilly	Mil - 430006-6596 0581-2421031 Mob - 9457583455	bareilly@echgs.gov.in	ECHS Polyclinic, Bareilly C/O Mil Hospital Bareilly- PIN-243 001(UP)
	ECHS CELL, STN HQ BABUGARH	0122-2338002/3 Mob- 9560624050	shqbabugarh@echgs.gov.in	
16	Bulandshahar	05732-223939/ 223940 Mob - 9456678511/ 8865857468	bulandshahar@echgs.gov.in bulandahrpolyclinic@yahoo.com	ECHS Polyclinic Bulandshahr, 36 Shanti Niketan Opp LIC Building, DM Colony Road, Bulandshahr
	ECHS CELL, AF STN SARSAWA	01831-244919 Mob- 9557547041		
17	Saharanpur (Sarsawa)	01331-245255 Mob-9557547041	saharanpur@echgs.gov.in oicchspolysarsawa@gamil.com	ECHS Polyclinic Sarsawa, SMC Air Force Station, Sarsawa, Saharanpur PIN-247232
	ECHS CELL, AF STN SHAHJAHANPUR	Mil-2103 05482-230094		
18	Shahjahanpur	Mil-2086 05842-230094 Mob-9307714177	shahjahanpur@echgs.gov.in	ECHS Polyclinic Shahjahanpur Shahjahanpur Cantt, (UP) PIN-242001

RC, ECHS, LUCKNOW				
Ser No	Appt	Tele No	Email ID	Address
	Dir RC ECHS	Mil-4100046630 4100046631 (Fax) 0522-2481895 Mob-9451714372	dirrclucknow@ech.gov.in	Regional Centre, ECHS, Lucknow, 3 Rani Laxmi Bai Marg, Lucknow Cantt-226002
POLYCLINIC				
	STN HQ KANPUR	Mil-6244 0512-2831750 Mob- 9235314980	shqkanpur@ech.gov.in	
1	Akbarpur Matti (Kanpur Dehat)	05111-270356 Mob-8726417487	akbarpurmatti@ech.gov.in	ECHS Polyclinic, Sanjay Nagar, Near Community Health Centre, Matti Road, Akbarpur, Kanpur Dehat, PIN-209101
2	Unnao	0515-2820562 Mob-9415409616	unnao@ech.gov.in echspolyclinicunnao@gmail.com	ECHS Polyclinic Unnao 48, Civil Lines, Kabba Khera, Near Unnao Medical Centre, Unnao (UP) PIN-209801
	STN HQ LUCKNOW	Mil-6610	shqlucknow@ech.gov.in	
3	Barabanki	05248-225056 Mob9415947942	barabanki@ech.gov.in	ECHS Polyclinic Barabanki Stn. HQ Barabanki , Barabanki (UP) PIN-225001
4	Hardoi	0585-2222030 Mob-9532666993	hardoi@ech.gov.in	ECHS Polyclinic Hardoi, Indira Nagar Lucknow Road, Near Aganwadi Centre, Hardoi (UP) PIN-241001
5	Lakhimpur (UP)	0587-2270316 Mob9793569980	lakhimpurup@ech.gov.in	ECHS Polyclinic Lakhimpur c/o Zila Sainik Adhikari Campus, Collectorate, Lakhimpur (UP) PIN-262701
6	Lucknow	Mil - 3349 0522-2421556/2482885 Mob-9451839917	lucknow@ech.gov.in	ECHS Polyclinic Lucknow 95-Usman Road, Lucknow Cantt PIN-226002
7	Raebareli	0535-2204688 Mob-9450862537	raebareli@ech.gov.in	ECHS Polyclinic Raebareli, Nagar, Ward No 22, Raebareli (UP), PIN-229001
	STN HQ ETAWAH(Kanpur)	0512-2381750 Mob 09235314980		
8	Etawah	05688-265901 Mob- 9880538897 9412000291	etawah@ech.gov.in	ECHS Polyclinic, Etawah Vinayak Dham, Tulsi ka Adda Road , Etawah PIN-206001
	STN HQ FATEHGARH	Mil-6425 05692-237158	shqfatehgarh@ech.gov.in	
9	Fatehgarh	Mil- 6008 05692-235409 Mob-9415090275	fatehgarh@ech.gov.in	ECHS Polyclinic Fatehgarh Fatehgarh Cantt (Farrukhabad) Fatehgarh, PIN-209601
	STN HQ AF STN KANPUR	05122381750 Mob-09235314980		
10	Kanpur	0512-2381490 Mob-9198646495	kanpur@ech.gov.in	ECHS Polyclinic, 7 Air Force Hosp, Singh Road, Kanpur (UP), PIN-208004
	STN HQ JHANSI	Mil-6246 Mob -9415227648		
11	Jhansi	0510-2473175 Mob-9451263470	jhansi@ech.gov.in oicpolyjhansi@gmail.com	ECHS Polyclinic Jhansi, C/o MH Jhansi, Jhansi (UP)
12	Orai	0516-2259218 Mob-9415186532	orai@ech.gov.in oiccechpolyorai@gmail.com	ECHS Polyclinic Orai, Zila Sainik Kalyan Evam Punarvas Karyalaya, Near Zila Parishad, Orai Dist- Jalaun (UP) PIN-285001

No. 6-1/2009/Edu. Concession/II/D (Res)
Government of India
Ministry of Defence
Department of Ex-Servicemen Welfare
D (Res)

Room No. 231, is Wing,
Sena Bhawan,
New Delhi-110 011

Dated : 25 Oct. 2010

To
The Chief of the Army Staff
The Chief of the Naval Staff
The Chief of the Air Staff

Subject: Grant of Educational Concession to the Children of Armed Forces
Officers/Personnel Below Officer Ranks (PBORs)
missing/disabled/killed in action

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations made by the Sixth Central Pay Commission (CPC) in Para 4 regarding enhancement of Educational Concessions to the children of Armed Forces Officers/Personnel Below Officer Ranks (PBORs) Missing/Disabled/Killed in action and in supersession of earlier order No. 9(1)/703/Edu. Concession/D(Res) dated 6th August, 2003 on the subject, the President is pleased to issue the following Instructions :-

- (i) **Tuition Fees:** Full reimbursement of tuition fee (Capitation fee and caution money not included) levied by the educational institutions concerned (including charges levied for the school bus maintained by certified by the school or actual fares paid for railway pass for students or bus fare certified by the Head of Institutes).
 - (ii) **Hostel Charges:** Full reimbursement of Hostel charges for those studying in boarding schools and colleges.
 - (iii) **Cost of books/stationery:** Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) per annum per student or the amount claimed by the student, whichever is less.
 - (iv) **Cost of Uniforms where this is compulsory:** Rs. 1,700/- (Rupees one thousand seven hundred only) at the maximum during 1st year and Rs. 700/- (Rupees seven hundred only) for the subsequent years per annum per student or the amount claimed by the student, whichever is less.
2. The education concessions referred to above will be admissible only for undertaking studies in Govt/Govt aided schools/educational Institutes, Military/Sainik Schools and other schools or college recognized by the Central or State Governments including the autonomous organizations financed entirely by the Central/State Governments.
 3. The above educational concessions will be available for school going children from 2 classes prior to 1st class up to and inclusive of the First Degree Course.
 4. Re-imbursement of Children Education Allowance (CEA) shall have no nexus with the performance of the child in his class. In other words even if a child fails in a particular class, the re-imbursement of CEA shall not be stopped.

-
5. Under the scheme CEA re-imburement can be availed for two eldest surviving children only, except when the number of children exceeds two due to second childbirth resulting in multiple births.
 6. These orders shall be effective from 1st September, 2010.
 7. The Educational Concession referred to in this order will be debit able from Major Head 2076 and Minor Head 800 B(a) 2 of the Defence Services Estimates (Army) and the relevant Head of Navy and Air Force.
 8. This issues with the concurrence of Ministry of Defence (Finance Division) vide their U.O. No. 3287/Fin/Pen/10 dated 12th Oct 2010.

(Ours faithfully)

Sd/-
(M. M. Singh)
Dy Secretary to the Govt. of India
Tele. 23015772

Copy to :

Ministry of Defence (Fin/AG/PD)
CGDA, Dir of Audit, Defence Services
All Controllers of Defence Accounts
All Commands Headquarters

Copy to : Signed in ink:
Principal Controller of Defence Accounts (Officer), Pune
Principal Controller of Defence Accounts (OR), South Madras
Principal Controller of Defence Accounts (OR), North Meerut
Principal Controller of Defence Accounts (Central) Nagpur
Director of Audit & Accounts, APS, Nagpur

Tele:26192359

Government of India
Ministry of Defence
Kendriya Sainik Board,
West Block-IV, Wing-VII
RK Puram, New Delhi - 66

NO.195/Welfare/Misc/2019-20

23 Apr 2019

The Director Department of Sainik Welfare/
Secretaries Rajya Sainik Board/UTs

CUT OFF DATE FOR RMEWF ONLINE APPLICATIONS
ON KSB WEBSITE www.ksb.gov.in

1. Further to this office letter no 195/Welfare/Misc/2017 dt 11 Apr 2018. All RSBs are requested to intimate ZSBs in their area of jurisdiction to inform all ESMs to adhere to online applications as per under-mentioned scheme specific time schedule. The ZSB and RSB officers and staff responsible for processing online applications must follow the applicable terminal dates to decide on acceptance or rejection of applications dates mentioned against each scheme.

S No.	Grant	2019-20	
		Appln FY/Applicable Date of Scheme/Academic Year/Conditions/Terms of Reference	Last date of uploading by ESM for F.Y 2019-20
(i)	Penury (Initial)	FY 2019-20	01 Mar 2020
(ii)	Renewal of Penury	FY 2019-20	Between 01 Dec 2019 to 01 Mar 2020
(iii)	Marriage	Date of Marriage.	Not to be accepted beyond 180 Days from the date of solemnization of marriage.
(iv)	Education	AY 2018-19 (aa) Class 1 st to 9 th and 11 th (ab) Class 10 th & 12 th (ac) Under graduation classes	30 Sep 2019 30 Oct 2019 30 Nov 2019
(v)	Medical	Date of discharge from Hospital or date of last prescription.	Not to be accepted after 180 Days from discharge from hospital or date of last prescription.
(vi)	100% Disable Child (Initial)		No time limit
(vii)	Renewal of 100% disabled child	FY 2019-20	Between 01 Dec 2019 to 01 Mar 2020
(viii)	Orphan (Initial)	Date of death of last alive parent	No time limit
(ix)	Renewal of Orphan	FY 2019-20	Between 01 Dec 2019 to 01 Mar 2020
(x)	Funeral	Date of Death of ESM	Within 365 days from date of expiry of ESM.
(xi)	NDA Cadet (Initial)	AY 2019-20	01 Mar 2020
(xii)	Renewal of Cadet Trg	FY 2019-20	Between 01 Dec 2019 to 01 Mar 2020
(xiii)	Vocational Trg	Date of completion of vocational course.	Not to be accepted after 180 Days from completion of course

(xiv)	House Repair (a) Non 100% Disabled ESM (ab) 100% Disabled ESM (ac) Orphan Daughter of all Ranks	(aa) Date of respective State Govt order promulgating an incident as Natural Calamity between 01 Apr 2019 to 31 Mar 2020 (ab) 100% disabled ESM to apply for FY 2019-20 without certificate if natural calamity. (ac) Orphan daughter of All ranks to apply for FY 2019- 20 without Certificate of Natural Calamity required	(aa) Not to be accepted after 180 Days from date of respective State Govt order promulgating an incident as Natural Calamity. (ab) 01 Mar 2020 (ac) 01 Mar 2020
(xv)	Mobility Equipment		No time limit
(xvi)	Serious Diseases	Date of discharge from Hospital or date of last prescription.	Not to be accepted after 180 Days from date of discharge from hospital or date of last prescription.
(xvii)	Subsidy on home loan	Date of sanction of loan by bank.	Not to be accepted after 180 Days from loan sanction date for initial sanction, after that, renewal to be claimed by applicant every year for 5 years or return of loan whichever is earlier.

2. Endorsement of Recommended Amount

ZSB/RSB staff processing online applications of ESM for under-mentioned financial assistance must mention recommended amount to be paid to the ESM applicant as per rules in vogue in the comment box provided at the bottom of online form.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (a) Medical Treatment | (b) Repair of House damaged in Natural Calamity |
| (c) Vocational Training of Widows | (d) Serious diseases |
| (e) Mobility Equipment | (f) Interest subsidy on home loan |

3. Processing of Time Barred Applications

All ZSB Users and ZSB Admin and RSB Users and RSB Admin may please be instructed to process only those applications that are not time barred as per above mentioned dates. Time barred applications to be rejected by ZSBs and RSBs.

4. Processing of Manual Backlog Applications

Processing of fresh manual backlog cases have been closed except applications under observation forward to RSBs vide KSB letter No. 192/Wel/Misc Grnt(Man)/Obs/2019.

5. Common Mistakes Noticed in F.Y 2016-17 and 2017-18

It has been noticed during FY 2016-17 and F.Y 2017-18 that number of ZSB User and Admin and RSB User & Admin were not placing online applications under observations or rejections to weedout fraudulent and incorrectly claimed applications not supported by supporting documents enumerated in subsequent paras

- Service Number and Name of ESM not matching with discharge book.
- Name of widow applicant not matching with discharge book.
- Name of ward not matching with either discharge book or marksheet or other scheme specific supported documents uploaded.
- Spellings of Name not matching in online form from discharge book, bank account and Aadhar card.

- (e) Time line as specified for each scheme to claim before cut off date not adhered, to by ESM while uploading and same approved by ZSB/RSB
- (f) **Education Grant** Marksheet in Education Grant uploaded had undermentioned inconsistencies.
- (i) Not sd/- by school authorities and not bearing their round stamps or seal.
 - (ii) Name of ward not matching.
 - (iii) Marksheet of AY 2015-16 or previous year uploaded.
 - (iv) Marksheet does not categorically mention child having passed.
- (g) **Education and Marriage Grant** Claimed for 1x child and name of two children entered or vice versa in case of Education Grant and Marriage Grant.
- (h) **Penury Grant (Initial)**
- (i) Already sanctioned cases applying again.
 - (ii) Applicant ESM not above 65 years of age on 01 Apr of F.Y in which applying.
 - (iii) Widow applicant not filling date of death of her husband in the relevant box.
 - (iv) Widow applying as ESM with date of death filled in relevant box.
 - (v) Penury grant applicant in current F.Y also applying for Penury Renewal in the same F.Y.
- (j) **Penury Renewal/Orphan Renewal/ NDA Cadet Renewal/100% Disable Child Renewal**
- (i) Life Certificates being forward to KSB through Dak after uploading the same online.
 - (ii) Life Certificates being forward to KSB instead of uploading the same online.
 - (iii) Life Certificates not uploaded online within prescribed period i.e 01 Dec to 01 Mar of current F.Y.
 - (iv) Life Certificates to be signed between 01 Dec to 01 Mar of current F.Y.
 - (v) Proper format not used for life certificates.
6. **All Schemes Where Bills Are Uploaded-**
- (a) Original bills to be retained by ZSBs and receipt to be given to ESMs, while recommending applications. Record of all receipts and return of supporting documents with ESMs to be maintained by all ZSBs. After payments are made by KSB, bills to be returned to applicant duly endorsed by drawing lines as under.
- _____
PAID BY KSB

- (b) Amount claimed and recommended to be endorsed by User and Admin at all levels.
7. **Reluctance on Part of ZSBs to Resolve Queries of ESM Pertaining to Welfare Schemes**
ESM are approaching KSB on telephone to know the status of their application/pendency of their applications, instead they must approach through ZSBs for such queries. KSB can not handle individual enquires due to lack of resources. ZSBs must first endeavour to reply/respond to queries on their own. Subsequently such queries can be forward in batches to KSB to reply in a streamlined manner.
8. Henceforth ZSB Admins and ZSB Users and RSB Users and Admins will be personally held accountable for such lapse in case of incorrectly approved applications.
9. Please Acknowledge and confirm receipt.


(RS Deswal)
Col
Jt Dir (Welfare)

Copy to:
JD(Automation) - Please upload the same on website for info of all.
(NOO)

Tele: 26192359

Government of India
Ministry of Defence
Kendriya Sainik Board,
West Block-IV, Wing-VII
RK Puram, New Delhi - 66

NO. 195/Welfare/Misc/KSB/Mrg & Edn/2019

26 Sep 2019

**The Director Department of Sainik Welfare/
Secretaries Rajya Sainik Board/UTs**

**CLARIFICATION ON POLICY FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR EDUCATION AND MARRIAGE
WELFARE SCHEMES FOR CHILDREN/WIDOW OF ESM**

1. Kendriya Sainik Board (KSB) is often approached for clarification about the welfare schemes for children education and marriage through which financial assistance is provided to children/widow of ESM. In both the welfare schemes i.e children education and marriage, following modalities will be considered for scrutiny of the online applications to decide the eligibility of the applicant.

Education Grant The financial assistance for children/widows is given as welfare measures for maximum of two children. This financial assistance is provided to maximum of two children irrespective of gender of the child.

- (a) The financial assistance will be provided as per seniority of names of children recorded in the discharge book of the ESM.
- (b) The name of first two children will be eligible for financial assistance for the schemes.
- (c) If discharge book does not have the entries of the children, valid part-II order from concerned record office of the ESM will have to be uploaded as supporting document with the online application. No other document like affidavit etc will be considered as supporting document.
- (d) In case the 1st and 2nd children are twins only twins will be eligible as maximum two children are permitted as per policy as mentioned above.
- (e) In case 2nd and 3rd children are twins both 2nd and 3rd children will be eligible for education financial assistance.

Unfortunate demise of 1st or 2nd child

(f) In case of unfortunate demise of 1st child, 2nd and 3rd child as mentioned in discharge book will be eligible. Similarly in case of demise of 2nd child the 3rd child will be eligible as mentioned in discharge book. The death certificate will be uploaded as supporting document with online application for scrutiny.

Marriage Grant In cases of marriage the financial assistance is provided to maximum two daughters subject to following modalities.

- (a) The financial assistance will be provided as per seniority of names recorded in the discharge book of the ESM.
- (b) The names of first two daughters will be eligible for financial assistance for marriage financial assistance.
- (c) If discharge book does not have the entries of the daughter's name, valid part-II order from concerned record office of the ESM will have to be uploaded as supporting document with the online application. No other document like affidavit etc will be considered as supporting document.
- (d) In case the ESM does not claim the marriage financial assistance for 1st daughter as per discharge book record, ESM will not be permitted to apply for marriage grant for 3rd daughter, only 2nd daughter will be allowed and financial assistance for 1st daughter will stand lapsed.
- (e) In case of 2nd and 3rd daughter being twins both will be eligible, as special case.

2. There is no change in the other eligibility criteria of both the schemes as already disseminated.
3. The clarifications are applicable to only post 2016 online applications as no digitized record is available with KSB prior Jun 2016 as the online application process was started in Jun 2016.
4. All other clarification issued prior to this letter regarding education and marriage welfare schemes, as concerned with the eligibility criteria, are superseded by this letter.
5. You are requested to disseminate the above information to all ZSBs in your jurisdiction. Also instruct them to circulate this information within the ESMs of their respective district.
6. This has the approval of Secretary, KSB.


(RS Deswal)
Col
Jt Dir (Welfare)
Sep 2019

Copy to:

JD (Automation)
(NOO) - Please upload the same on website for info of all.

✓ JD (Policy)
(NOO) - Please Email this letter to all RSBs and ZSBs for info.

**जिले स्तर पर
कार्यवाही के लिए
आवश्यक प्रपत्र**

जिले स्तर पर कार्यवाही के लिये आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यप्रणाली

पूर्व सैनिकों का पंजीकरण एवं पहचान पत्र :-

पूर्व सैनिकों/वीर नारियों का पंजीकरण संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में किया जाता है तथा उन्हें एक परिचय पत्र जारी किया जाता है जिसके आधार पर उन्हें पूर्व सैनिक के रूप में अनुमन्य विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में होने वाले कार्यों एवं उनसे सम्बन्धित आवश्यक कागजातों एवं कार्यप्रणाली का विवरण निम्नवत् है।

पूर्व सैनिक के लिए :-

- डिस्चार्ज बुक /रिकार्ड ऑफ सर्विस की मूल एवं छायाप्रति
- पी.पी.ओ. की मूल एवं छायाप्रति
- चार सिंगल फोटो और दो ज्वाइंट फोटो
- निर्वाचन कार्ड की छायाप्रति
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- पैन कार्ड की छायाप्रति
- ई.सी.एच.एस. कार्ड की छायाप्रति
- गन लाइसेन्स की छायाप्रति (यदि जारी हो तो)
- ड्राइविंग लाइसेन्स की छायाप्रति
- बैंक पास बुक की छायाप्रति
- टेलीफोन / मोबाइल नं०

वीर नारी / दिवंगत सैनिक की पत्नियों के लिये :-

- डिस्चार्ज बुक /रिकार्ड ऑफ सर्विस की मूल एवं छायाप्रति
- पी.पी.ओ. की मूल एवं छायाप्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल एवं छायाप्रति
- बैंक पास बुक की छायाप्रति
- पांच फोटो
- दिवंगत सैनिक का जिला सैनिक कल्याण द्वारा जारी पहचान पत्र मूल रूप में
- डिस्चार्ज बुक /रिकार्ड ऑफ सर्विस में पत्नी का नाम न होने की स्थिति में अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी पारिवारिक विवरण / पार्ट टू आर्डर
- परिवार रजिस्टर की प्रति
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- निर्वाचन कार्ड की छायाप्रति
- पैन कार्ड की छायाप्रति
- ई.सी.एच.एस. कार्ड की छायाप्रति
- ड्राइविंग लाइसेन्स की छायाप्रति

डुप्लीकेट पहचानपत्र बनवाने के लिये :-

- प्रार्थना पत्र
- प्रथम प्राथमिकी (पुलिस) सूचना
- फाइनल रिपोर्ट
- दो फोटोग्राफ
- आधार कार्ड
- प्रथम बार शुल्क रू0 100 /-दूसरी बार रू0 200 /- तीसरी बार रू0 300 /-एवं पांच वर्ष बाद निःशुल्क

अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण हेतु:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र
- प्रार्थना पत्र
- डिस्चार्ज बुक
- पी.पी.ओ.
- निवास प्रमाण पत्र- जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी (अपना बिजली का बिल /निर्वाचन कार्ड /आधार कार्ड)
- पता बदली के लिये डिक्लरेशन फार्म

डुप्लीकेट डिस्चार्ज बुक के लिये / सर्विस पर्टीकुलर्स के लिये

- प्रार्थना पत्र
- खो जाने की स्थिति में पुलिस प्राथमिकी
- शपथ पत्र -10 रू0 के स्टैम्प पेपर पर
- दो ज्वाइन्ट व दो सिंगल फोटोग्राफ
- आधार कार्ड की छायाप्रति
- पत्नी अथवा पूर्व सैनिक की मृत्यु उपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति

आश्रित के लिये पहचान पत्र:-

अर्हतायें:-

- पूर्व सैनिक पेंशनर की पत्नी एवं बच्चे /विधवा /वीर नारी उनके बच्चे तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों के माता-पिता ।
- पूर्व सैनिक पर आश्रित माता-पिता जिनकी मासिक आय रू0 9000 /- प्रतिमाह से कम है ।
- 25 वर्ष की आयु तक के बेरोजगार पुत्र
- बेरोजगार /अविवाहित /तलाकशुदा /विधवा पुत्रियाँ

वांछित कागजात

- फोटोयुक्त आवेदन पत्र

-
- पंजीकरण फार्म
 - डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
 - पी0पी0ओ0 की छायाप्रति
 - जन्म प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
 - आधार कार्ड की छायाप्रति
 - जिला सैनिक कल्याण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो।
 - पहचान पत्र शुल्क रू0 100 / -

पार्ट-टू-आर्डर के लिये:-

- प्रार्थना पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र-नगर निगम / ग्राम प्रधान / सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
- शपथ पत्र-प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
- स्कूल सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड

पार्ट-टू-आर्डर में नाम इत्यादि परिवर्तन की स्थिति में:-

- प्रार्थना-पत्र
- स्कूल एवं नगर निगम द्वारा जारी जन्म-तिथि प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र-प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
- दो अलग-अलग राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना
- पुत्र / पुत्री के मामलों में माता का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिये
- आधार कार्ड

पुनर्विवाह का पार्ट-टू-आर्डर कराये जाने के लिये:-

- प्रार्थना पत्र
- पहली पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र / तलाकनामा
- दूसरी पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र-सभासद / ग्राम प्रधान द्वारा जारी
- विवाह प्रमाण पत्र-रजिस्ट्रार द्वारा जारी
- शपथ पत्र-प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
- आधार कार्ड

पारिवारिक / तलाकशुदा पुत्रियों के पेंशन हेतु:-

- डिस्चार्ज बुक, पी.पी.ओ., पहचान पत्र की छायाप्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र-पूर्व सैनिक / माता-पिता

-
- परिवार रजिस्टर की नकल—जिसमें पुत्री के नाम के आगे विवाहित/अविवाहित/तलाकशुदा लिखा हो।
 - पार्ट—टू—आर्डर या डिस्चार्ज बुक में नाम हो।
 - रिकार्ड से जारी रिलेशन सर्टिफिकेट/सम्बन्ध प्रमाण पत्र
 - अविवाहित/तलाकशुदा का ग्राम प्रधान/सभासद से प्रमाण पत्र
 - तलाकशुदा हेतु कोर्ट से "डिग्री ऑफ डाईवोर्स" तलाक की सत्यापित प्रति
 - तहसील से आय प्रमाण पत्र
 - अविवाहित/बेरोजगार/तलाकशुदा के संबंध में शपथ पत्र
 - आधार कार्ड
 - उपरोक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रार्थना पत्र पेंशन हेतु।

आश्रित प्रमाण पत्र:-

- प्रार्थना पत्र
- डिस्चार्जबुक/रिकार्ड ऑफ सर्विस
- पहचान पत्र
- एक-एक फोटो आश्रित पुत्र/पुत्री तथा पूर्व सैनिक/वीर नारी
- स्कूल सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- पारिवारिक विवरण/पार्ट—टू—आर्डर—अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी

वीरता, विशिष्ट एवं अन्य पदक विजेताओं के लिये:-

- प्रार्थना-पत्र
- गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति
- निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक पास बुक की छायाप्रति IFSC Code, MICR Code सहित

नोट — वीरता पुरस्कार की धनराशि पाने के लिये प्रतिवर्ष जीवित 'प्रमाण-पत्र' देना अनिवार्य है।

राज्यपाल उ०प्र० सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा देय दिवंगत सैनिक की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक अनुदान के लिये:-

- प्रार्थना पत्र/निधि द्वारा जारी आवेदन का प्रारूप
- वर/कन्या पक्ष का शादी का कार्ड
- वर/कन्या की जन्मतिथि प्रमाण पत्र—हाईस्कूल सर्टिफिकेट/ग्राम प्रधान द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
- पी०पी०ओ० की छायाप्रति

-
- पहचान पत्र की छाया प्रति—जिला सैनिक कल्याण द्वारा जारी
 - बैंक पास बुक की छायाप्रति

राज्यपाल उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा देय पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिक के आश्रितों को छात्रवृत्ति के लिये:—

- आवेदन पत्र—निधि द्वारा जारी
- मार्कशीट की छायाप्रति
- बैंक पास बुक की छायाप्रति

राज्यपाल उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा देय पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिक की पत्नियों द्वारा बैंक से लिये गये ऋण पर छूट :-

- आवेदन पत्र—निधि द्वारा जारी
- डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
- पहचान पत्र की छाया प्रति—जिला सैनिक कल्याण द्वारा जारी
- बैंक पास बुक की छायाप्रति— IFSC Code, MICR Code सहित
- पुनर्सेवायोजन प्रमाण पत्र
- ऋण उपभोग प्रमाण पत्र
- बैंक द्वारा जारी छः माह का बैंक का विवरण ।

उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिज सहायता संस्थान,
कक्ष संख्या-55, नवीन भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ 226001.
अनुग्रह अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

- 1- प्रार्थी का नाम -----
(प्रार्थी के बैंक खाता की पासबुक की फोटो प्रति संलग्न की जाए)
मोबाइल नं० : ----- ई-मेल आईडी: -----
- 2- प्रार्थी का कैम्पुअल्टी से सम्बन्ध -----
- 3- शहीद कर्मों के माता एवं पिता का नाम -----
(माता/पिता के बैंक खाता की पासबुक की फोटो प्रति संलग्न की जाए)
- 4- पूरा स्थायी पता (पिन कोड सहित) -----
- 5 आशितों की संख्या :

क्रमांक	आशितों के नाम	सम्बन्ध	जन्मतिथि	आधार नं०

- 6- कैम्पुअल्टी का नाम, नम्बर, बैंक तथा यूनिट का नाम -----
- 7- कैम्पुअल्टी का दिनांक तथा स्थान -----
(अ) प्रकृति (भूखु/स्थायी अपंगता) -----
(ब) स्थायी अपंगता का प्रोत्पन्न (प्रमाण-पत्र सहित) -----
(ग) अपंगता के आधार पर सेवानिवृत्त होने की तिथि -----
- 8- संरक्षक का नाम व पूरा स्थायी पता -----
(अ) व्यवसाय/व्यवसाय का विवरण, यदि कोई हो -----
(ब) मासिक आय -----
- 9- प्रार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन का पूर्ण विवरण (पेंशन मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता आदि) -----
- 10- क्या प्रार्थी को इससे पूर्व भी संरक्षण या अन्य सौकों से कोई सहायता प्राप्त हुई है?
यदि हाँ तो धनराशि, दिनांक, सहायता का उद्देश्य सूचित करें -----
- 11- आदिदिता सहायता धनराशि -----

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

संस्तुतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेतु
(अशिलेख अधिकारी/महानिदेशक, पुलिस/पी०ए०सी०/अर्ख सैनिक बल)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती -----आशित
शहीद/अपंग कर्मों का नाम ----- नम्बर ----- बैंक
----- यूनिट का नाम -----
का आवेदन-पत्र प्रथम बार संस्थान को ----- (शर्कों में-----
----- मात्र) की सहायता हेतु संस्तुति सहित भेजा जा रहा है।

दिनांक :

अग्रसारण-अधिकारी का हस्ताक्षर
नाम, पदनाम व मुहर सहित

**महत्वपूर्ण
जानकारियाँ**

ESM CELL

ESM CELL, SAHARANPUR

Station Headquarters,
PIN- 900264, C/O 56 APO
0132-2715121
stnhqveterans@gmail.com

ESM CELL, MEERUT

ESM Helpline, HQ Pashchim UP SUB Area,
PIN-900468, C/o 56 APO
0121-2650112
esmhelinemrt@gmail.com

ESM CELL, MATHURA

ESM Helpline, Stn HQ, Mathura Cantt-281001
0565-2470262
mathura.esmheline@gmail.com

ESM CELL, AGRA

ESM Service Centre, C/O Station HQ,
Agra Cantt, Uttar Pradesh, PIN-900322
0562-2410332
esmhelineagra@gmail.com

ESM CELL, MAINPURI

ESM Service Centre, Mainpuri, C/O Zila Sainik
Board, Mainpuri, PIN-205001
05672-234455 esmveteranservice@gmail.com

ESM CELL, FATEHGARH

The SIKH LI Regt Centre, PIN-900927
C/o 56 APO,
05692-236882
esmcellsikhlire@gmail.com

ESM CELL, BAREILLY

ESM Service Centre, C/o Stn HQ,
Bareilly Cantt, PIN-243001
0581-2511492
esmhelinestnhqbly@gmail.com

ESM CELL, KANPUR

Stn HQ, Kanpur, PIN-900273, C/o 56 APO
0512-2380040
helplinekanpur@gmail.com

ESM CELL, SHAHJAHANPUR

Stn HQ, Shahjahanpur, PIN-901185
C/O 56 APO
05842-280235
esmspn85@gmail.com

ESM CELL, LUCKNOW

HQ Madhya UP Sub Area,
PIN-900450, C/o 56 APO
0522-2483961
esmservicecentreelko@gmail.com

ESM CELL, BARABANKI

ESM Cell Barabanki, C/o Stn HQ,
Near Mil Stn, Barabanki, PIN-225001
05248-224300
stnhqbbk@gmail.com

ESM CELL, FAIZABAD

ESM Service Centre, C/o Stn HQ, Faizabad
ECHS Cell, Faizabad Cantt, PIN-900235
05278-220160
esmhelinefaizabad@gmail.com

ESM CELL, ALLAHABAD

C/o Veterans Branch, HQ Purva
UP MP Sub Area, Allahabad
0532-2422932
esmcell.allahabad@gmail.com

ESM CELL, VARANASI

ESM Service Centre, Varanasi,
C/o Stn HQ, Varanasi
0542-2500016
esmcellvaranasi5045@gmail.com

ESM CELL, KUNRAGHAT

ESM Service Centre, C/o Stn HQ,
Kunraghat, Gorakhpur,
PIN-901108, C/o 56 APO
0551-2272936
esmcellkunraghat@gmail.com

LIST OF ARMY RECORDS OFFICES

01. RECORDS ARMoured CORPS

Armoured Corps Records,
ACC And School, Ahmed Nagar, Maharashtra,
PIN-900476, c/o 56 APO-
0241-2323201
acveteranscell.help@nic.in

02. RECORDS ARTILLERY

Artillery Records, Nasik Road Camp,
PIN-908802, 0253-2410677
gunnerhelpline-army@nic.in

03. RECORDS ARMY AIR DEFENCE

Army Air Defence Records,
PIN-908803, c/o 56 APO,
9437584483
aadregms@nic.in

04. RECORDS MADRAS ENGR GROUP

Records MEG,
PIN-900493, c/o 56 APO
080-25307888
meg_records@rediffmail.com

05. RECORDS APS

Army Postal Service Records,
PIN-900746, c/o 56 APO
07109-288036
tee.kamp62@nic.in

06. RECORDS BENGAL ENGR GROUP (R)

BEG Records, Roorke,
PIN-247667, 01332-278966
records-beg-rke@nic.in

07. RECORDS BOMBAY ENGR GROUP (K)

Record Office Bombay Engr Group,
PIN-908796, 020-26680462
puwrebr.7yabr@nic.in

08. RECORDS SIGNALS

The Records Signals, Jabalpur, Madhya Pradesh,
PIN-482001
0761-2606915
marshal@nic.in

09. RECORDS THE BDE OF GUARDS

Records, Bde of The GUARDS,
PIN-900746, c/o 56 APO,
07109283838
guardsrecord@gmail.com

10. RECORDS THE PARA REGT

Records, The PARA Regiment,
PIN-900493, c/o 56 APO
08023330017
jumping@nic.in

11. RECORDS THE MECH INF REGT

Records The Mech Inf Regt,
PIN-900476, C/O 56 APO
0241-2330050
veteranscellrecordsmir@gmail.com

12. RECORDS THE MADRAS REGT

Records The MADRAS Regt,
PIN-900458, C/O 56 APO
0423-2202450
kingofnilgiri@nic.in

13. RECORDS THE PUNJAB REGT

Records The PUNJAB Regiment,
PIN-908761, c/o 56 APO
06553-231614
records_prc@ymail.com

14. RECORDS THE JAT REGT

Records The JAT Regiment, Bareilly
PIN-243001, 0581-2422715
pc.jrcbareilly@yahoo.in

15. RECORDS THE MARATHA LI

Records The MARATHA LI,
PIN-900499, c/o 56 APO
0831-2402821
recordsthemarathali@yahoo.com

16. RECORDS THE RAJ RIFLES

Records The RAJ RIF
PIN-900106, C/O 56 APO
011-25695751
records_rajrif@rediffmail.com

17. RECORDS THE RAJPUT REGT

Records The RAJPUT Regt,
PIN-900427, 8601299154
rajputrecords@yahoo.in

18. RECORDS THE GRENADIERS

The GRENADIERS Records, Jabalpur,
PIN-908776, C/O 56 APO
0761-2625438
thegrenadiersrecords1975@gmail.com

19. RECORDS THE SIKH REGT

Records The SIKH REGT,
PIN-908762, C/O 56 APO
6553-231010
a26_ramgarh@yahoo.in

20. RECORDS THE SIKH LI

The SIKH LI Records
PIN-900927, C/O 56 APO
1800-180-5451
mykhalsa312@gmail.com

21. RECORDS THE DOGRA REGT

Records THE DOGRA Regiment, Faizabad Cantt,
UP-224001
05278-225201
highlander@nic.in

22. RECORDS THE GARH RIFLES

Records, THE GARHWAL Rifles,
PIN-900400, C/O 56 APO
01386-262261
bhulla.wali@nic.in

23. RECORDS THE KUMAON REGT

Records The KUMAON Regt, Ranikhet,
Distt.-Almora, Uttarakhand,
PIN-263645, 05966-221358
hill.binsar@nic.in

24. RECORDS THE ASSAM REGT

Records The ASSAM Regiment,
Happy Valley Shillong, East Khasi Hills, Meghalaya,
PIN-793007, 0364-2585227
rhinorecord-meg@nic.in

25. RECORDS THE BIHAR REGT

Records The BIHAR Regt,
PIN-908765, C/O 56 APO
06115-221533
kalinga@nic.in

26. RECORDS THE MAHAR REGT

Records, The MAHAR Regiment,
PIN-900127, c/o 56 APO
07582-220516
maharveterans@gmail.com

27. RECORDS THE JAK RIF

Records JAK RIF,
PIN-908774 c/o 56 APO
0761-4045442
Zorawar.hunja@nic.in

28. RECORDS THE LADAKH SCOUTS

Records LADAKH SCOUTS,
PIN-910368, c/o 56 APO
01982-226177
recordsls11@gmail.com

29. RECORDS JAK LI

JAK LI Record Office, PIN-911097,
C/O 56 APO
0194-2300276
JAKLIRO.SR10-APO@NIC.IN

30. RECORDS 14 GR

Records 14 GR, Subathu (HP),
PIN-173206, 01792-2758187
records14gr@gmail.com

31. RECORDS 39 GR

Records 39 Gorkha Rifles,
PIN-900445, c/o 56 APO
0542-2505213
records39gr@yahoo.in

32.RECORDS 58 GR

Records 58 GR, Happy Valley, Shillong, Meghalaya,
PIN-900332
0364-2585442
records58gr@gmail.com

33.RECORDS 11 GR

Records 11 GR, PIN - 900450,
c/o 56 APO
1800-419-0644
esmveterans11gr@gmail.com

34. RECORDS GORKHA OFFICE GHOOM

Gorkha Record office,
PIN-900121, c/o 99 APO
03542-256134
grdghoom2011@gmail.com

35. RECORDS GORKHA

Gorka Records office, Kunraghat,
PIN-9001108, c/o 56 APO

36. RECORDS ASC SOUTH

ASC Records South,
PIN - 900493, C/O 56 APO
080-25590089
ascrecords.south@nic.in

37. RECORDS ASC AT

ASC Records AT, Agram Post, Bangaluru,
PIN-560007, 0802-5350344
mail.ascrecordsat@gmail.com

38. RECORDS AMC

AMC Records Office, PIN-900450,
C/o 56 APO, 0522-2483676
amcrecords@rediffmail.com

39. RECORDS AOC,

AOC Records, PIN-900453, c/o 56 APO
0402-7730705
tuskerretirees.aoc1@gmail.com

40. RECORDS EME

EME Records, Secunderabad
PIN-900453
040-27791123
reecmr@yahoo.com

41. RECORDS RVC

RVC Records
PIN-900468, C/o 56 APO

42. RECORDS AEC

AEC Records, PIN-908777,
c/o 56APO
07578-252966
aecrecords@yahoo.com

43. RECORDS OFFICE INT CORPS

Record Office Intelligence Corps,
PIN-908793, C/O 56 APO
0202-6338188
intrecordoffice@gmail.com

44. RECORDS CMP

CMP Records,
PIN-900493, C/O 56 APO
080-25571593
cmprecords1942@gmail.com

45. RECORDS APTC

APTC Records,
PIN-900449, c/o 56 APO,
020-26822374
calcium@nic.in

46. RECORDS PIONEER CORPS

Records THE PIONEER CORPS,
PIN-900493, C/O 56 APO
080-25559294
pnr_records@rediffmail.com

47. RECORDS DSC

DSC Records, Millroad, Cannanore, Burnassery
P.O. Kannur, Kerala-670013
0497-2705420
dscr2007@rediffmail.com

48. RECORDS OFFICE 22 ESTABLISHMENT

HQ, 22 Establishment Records,
PIN-934822, c/o 56 APO

49. RECORDS, ARMY AVIATION RECORDS WING

Army Avn Corps Records,
C/O 56 APO, PIN-900482
0253-2411062
helplineair@nic.in

50. RECORDS, GREF CENTRE

GREF Centre,
PIN-900462, c/o 56 APO
bro-centre@nic.in
0202-7150372, 7150077

51. NAVY RECORDS BUREAU OF SAILORS

Sion, Trombay Road, Maankhurad, Mumbai-400088
navypension@yahoo.co.in
navypension@gmail.com
022-25075455

52. AIR FORCE PENSION OFFICE

Directorate of Air Force Veterans, Subroto Park, New
Delhi, PIN-110010, afro@iafnic.in

DIRECTORATE OF VETERANS**Ex-Army Veterans**

Directorate of Indian Army Veterans (DIAV)
AG's Branch IHQ of MoD(Army)
104, Cavalry Road, Maude Lines, Delhi Cantt-10
Ph:011-25674764, 25674762
armyveteranscell@gmail.com

Ex-Navy Veterans

Directorate of Ex-Servicemen Affairs
6th Floor Chanakya Bhawan, Chankyapuri, New Delhi-21
desa-navy@nic.in, desa@navy.gov.in
Ph: 011-24121068, 24102305

Ex-Air Force Veterans

Directorate of Air Veterans
Air HQ (SP), 1st Floor, SMC Bldg
Subroto Park, New Delhi-10
Ph: 011-25683190, 2568351, 25690233
Toll Free No : 1800-11-5800
dav@iaf.nic.in
dav.officers@gov.in (For Officers)
dav.airmen@gov.in (For Airmen)
dav.nce@gov.in (For NCs (E))

उत्तर प्रदेश, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की सूची

क्रम सं०	जनपद	कार्यालय	दूरभाष नम्बर / मोबाइल नम्बर
1	आगरा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, आगरा-282001	0562-2260549 7839553205 zsaag-up@nic.in
2	अलीगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अलीगढ़-202001	0571-2401763 7839553206 zsaal-up@nic.in
3	अमेठी	कार्यालय भवन की स्थापना लम्बित है	8765610974
4	प्रयागराज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, लोक सेवा आयोग के सामने, थोर्न हिल रोड, प्रयागराज-211002	0532-2548434 7839553207 zsaah-up@nic.in
5	अम्बेडकरनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, पुराना कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर-224122	05271-246818 7839553208 zsaan-up@nic.in
6	अमरोहा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, अमरोहा-244221	05922-252109 7839553245 zsajp-up@nic.in
7	औरैया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, औरैया-206246	7839553210 zsaau-up@nic.in
8	आज़मगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, रेदोपुर, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मेन ब्रान्च के सामने, आजमगढ़-276001	05462-220820 7839553209 zsaaz-up@nic.in
9	बदायूं	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सैनिक परिषद, निकट जिला पंचायत गेट, बदायूं-243601	05832-267122 7839553211 zsabd-up@nic.in
10	भदोही	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट, गाँव-सरपतहा, भदोही-221304	05414-251229 7839553212 zsasr-up@nic.in
11	बागपत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, विकास भवन, कमरा नं०-10, बागपत-262501	0121-2222843 7839553213 zsabg-up@nic.in
12.	बहराइच	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, माल कचेहरी, बहराइच-271801	05252-234775 7839553215 zsabh-up@nic.in
13.	बिजनौर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, बिजनौर-246701	01342-262994 7839553214 zsabi-up@nic.in
14.	बलिया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, एन०सी०सी० तिरहा, हरपुर, बलिया-277001	05498-240202 7839553216 zsabl-up@nic.in
15	बलरामपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, तहसील सदर, कमरा नं०-33, द्वितीय तल, बलरामपुर-271201	05263-235086 7839553217 zsablp-up@nic.in
16.	बांदा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, बांदा-210001	05192-285392 7839553218 zsabn-up@nic.in
17.	बाराबंकी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, फैजाबाद रोड, मा० न्यायाधीश आवास के निकट, बाराबंकी-225001	05248-222565 7839553219 zsabb-up@nic.in

18.	बरेली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कचेहरी परिसर, बरेली-243001	0581-2421794 7839553220 zsambur-up@nic.in
19.	बस्ती	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, ओपोजिट जिलाधिकारी कार्यालय, बस्ती-272001	05542-246670 7839553221 zsabs-up@nic.in
20.	बुलन्दशहर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कचेहरी रोड, बुलन्दशहर-203001	05732-282562 7839553223 zsabu-up@nic.in
21.	चन्दौली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, चन्दौली-232104	05412-260126 7839553224 zsacd-up@nic.in
22.	चित्रकूट	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, जिला पंचायत परिसर, चित्रकूट-210205	05198-236475 7839553225 zsact-up@nic.in
23.	देवरिया	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, निकट एस0पी0 कार्यालय, देवरिया-274001	05548-222450 7839553226 zsade-up@nic.in
24.	एटा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, एटा-207001	05742-233753 7839553227 zsaet-up@nic.in
25.	इटावा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, रेलवे स्टेशन रोड, इटावा-206001	05688-254167 7839553228 zsaew-up@nic.in
26.	अयोध्या	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट के पीछे सिविल लाइन, अयोध्या-224001	05278-222184 7839553229 zsaftz-up@nic.in
27.	फतेहगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, स्टेडियम के निकट, फतेहगढ़- 209601	05692-234659 7839553230 zsafr-up@nic.in
28.	फतेहपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, एस0पी0 कार्यालय के निकट, फतेहपुर-212601	05180-224232 7839553231 zsaft-up@nic.in
29.	फिरोजाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सुहागनगर, सेक्टर-1, फिरोजाबाद-283203	05612-230944 7839553233 zsafti-up@nic.in
30.	गौतमबुद्धनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, पुराना राजकीय डिग्री कॉलेज, सेक्टर-19, सी -ब्लॉक, गौतमबुद्धनगर-201301	0120-2544814 7839553234 zsaftb-up@nic.in
31.	गाजियाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, राजनगर, गाजियाबाद-201002	0120-2822643 7839553235 zsafta-up@nic.in
32.	गाजीपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, हेड पोस्ट ऑफिस, गाजीपुर-233001	0548-2226671 7839553236 zsaftg-up@nic.in
33.	गोण्डा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, अम्बेडकरनगर चौराहा, निकट माननीय न्यायाधीश आवास, गोण्डा-271001	05262-230038 7839553237 zsaftn-up@nic.in
34.	गोरखपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सिविल लाइन्स, गोरखपुर-273001	0551-2337643 7839553238 zsaftg-up@nic.in
35.	हमीरपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, निकट पुलिस कार्यालय, हमीरपुर- 210301	05282-222319 7839553239 zsaftm-up@nic.in
36.	हरदोई	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सिनेमा चौराहा के निकट, हरदोई-241001	05852-234733 7839553240 zsaftu-up@nic.in

37.	हाथरस	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, हाथरस-204121	05722-226245 7839553241 zsah-up@nic.in
38.	हापुड़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, न्यू कलेक्ट्रेट हापुड़- 245207	8765610970 zsap-up@gov.in
39.	जालौन	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, चुरखी रोड, भगोड़ा, जालौन-285001	05162-252798 7839553242 zsajl-up@nic.in
40.	जौनपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सिविल लाइन, जौनपुर-222002	05452-261110 7839553243 zsaju-up@nic.in
41.	झांसी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सिविल लाइन, झांसी-284001	0510-2470049 7839553244 zsajh-up@nic.in
42.	कन्नौज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, निकट ब्लॉक ऑफिस सराय मीरा रोड, कन्नौज-209721	05694-234071 7839553246 zsakj-up@nic.in
43.	कानपुर नगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, कानपुर नगर-208001	0512-2306648 7839553247 zsakn-up@nic.in
44.	कानपुर देहात	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, माती, विकास भवन के पीछे, कलेक्ट्रेट परिसर, कानपुर देहात-208001	05111-270465 7839553248 zsakd-up@nic.in
45.	कासगंज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सोरोगेट, कासगंज- 207173	05744-242001 7839553249 zsakr-up@nic.in
46.	कौशाम्बी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, ओसा मंजनपुर, कौशाम्बी-212207	05331-232642 7839553250 zsaks-up@nic.in
47.	खीरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, खीरी-262701	05872-252757 7839553251 zsalk-up@nic.in
48.	कुशीनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, रवीन्द्र नगर, धूस, कुशीनगर- 274304	05564-246210 7839553262 zsaku-up@nic.in
49.	ललितपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, पुरानी तहसील, ललितपुर-284403	05176-277800 7839553252
50.	लखनऊ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सैनिक भवन, कैसरबाग, लखनऊ-226001	0522-2622367 7839553254 zsalu-up@nic.in
51.	महाराजगंज	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, मुख्यालय कलेक्ट्रेट, महाराजगंज-273303	05523-223863 7839553255 zsamg-up@nic.in
52.	महोबा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, पट्टहा रोड, निकट पावर हाउस, महोबा-210427	05281-253032 7839553256 zsamh-up@nic.in
53.	मैनपुरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, मैनपुरी-205001	05672-234890 7839553257 zsamp-up@nic.in
54.	मथुरा	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सिविल लाइन, निकट तहसील, मथुरा-281001	0565-2471749 7839553258 zsam-up@nic.in

55.	मऊ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, कमरा नं०-7, मऊ- 275101	0547-2225816 7839553259, zsamb-up@nic.in
56.	मेरठ	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, निकट, कलेक्ट्रेट परिसर, मेरठ-250001	0121-2644551 7839553260, zsamb-up@nic.in
57.	मिर्जापुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सिविल लाइन, पटहा, मिर्जापुर-231001	05442-256372 7839553261, zsami-up@nic.in
58.	मुरादाबाद	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कचेहरी रोड, कोर्ट कैम्पस, मुरादाबाद-244001	0591-2412260 7839553253, zsamo-up@nic.in
59.	मुजफ्फरनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, मालवीय चौक, मुजफ्फरनगर-251001	0131-2437623 7839553263, zsamu-up@nic.in
60.	पीलीभीत	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, न्यू तहसील, कमरा नं०- 6, पीलीभीत-262001	05882.258882 7839553264 zsapi-up@nic.in
61.	प्रतापगढ़	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, प्रतापगढ़ -230 001	05342.220891 7839553265 zsapr-up@nic.in
62.	रामपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, रामपुर- 244901	0595.2350022 7839553266 zsara-up@nic.in
63.	रायबरेली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सैनिक भवन, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, रायबरेली-229001	0535.2203554 7839553267 zsarb-up@nic.in
64.	सम्भल	कार्यालय भवन की स्थापना लम्बित है	8765610972
65.	शामली	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, किसान इन्टर कॉलेज, करनाल रोड, शामली- 247767	zsasham-up@nic.in 8765610973
66.	सन्तकबीरनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, सन्त कबीरनगर- 272 175	05547.226778 7839553268 zsask-up@nic.in
67.	सहारनपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, रेलवे रोड, सहारनपुर-247001	0132.2643629 7839553269 zsasa-up@nic.in
68.	शाहजहांपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, शाहजहांपुर-242001	05842-223005 7839553270 zsasj-up@nic.in
69.	सिद्धार्थनगर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, तहसील परिसर, सिद्धार्थनगर-272207	05544-220345 7839553271 zsasn-up@nic.in
70.	सीतापुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, लालबाग, सीतापुर-261001	05862-242055 7839553272 zsasi-up@nic.in
71.	सोनभद्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, विकास भवन, कमरा नं०-66, सोनभद्र-231216	0544-223885 7839553273 zsaso-up@nic.in
72.	श्रावस्ती	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, राजा साहब की कोठी (आनन्द भवन) पोस्ट- भिंगा, श्रावस्ती-271831	05250-222654 7839553274 zsasv-up@nic.in
73.	सुल्तानपुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, सिविल लाइन, तिकुनिया पार्क, सुल्तानपुर-228001	05362-240416 7839553275 zsasu-up@nic.in
74.	उन्नाव	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, निकट रेलवे स्टेशन, उन्नाव-209801	0515-2820544 7839553276 zsaun-up@nic.in
75.	वाराणसी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर, वाराणसी-221002	0542-2508254 7839553277 zsava-up@nic.in

CENSUS OF EX-SERVICEMEN /WIDOWS AS ON 30 SEP 2019

Sr.No.	ZSB	ESM			TOTAL	Widows			TOTAL	Grand Total
		ARMY	NAVY	AF		ARMY	NAVY	AF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Agra	12490	238	709	13437	1471	59	141	1671	15108
2	Aligarh	7168	320	849	8337	944	20	46	1010	9347
3	Prayagraj	5529	352	1829	7710	755	39	232	1026	8736
4	Ambedkarnagar	1013	83	152	1248	162	12	15	189	1437
5	Amethi	1807	237	327	2371	372	55	97	524	2895
6	Amroha	760	20	117	897	130	0	1	131	1028
7	Azamgarh	4601	794	502	5897	516	25	40	581	6478
8	Auriya	3455	64	232	3751	767	5	16	788	4539
9	Badaun	2752	103	42	2897	548	5	2	555	3452
10	Bhadohi	217	34	52	303	31	1	5	37	340
11	Baghpat	7005	268	490	7763	1268	14	37	1319	9082
12	Bahraich	854	31	31	916	289	10	17	316	1232
13	Bijnaur	1671	70	136	1877	470	10	5	485	2362
14	Balia	9321	1361	2095	12777	2115	177	628	2920	15697
15	Balrampur	128	5	17	150	44	1	1	46	196
16	Banda	2664	25	84	2773	433	0	7	440	3213
17	Barabanki	1556	93	109	1758	730	21	44	795	2553
18	Bareilly	7763	241	424	8428	1332	34	99	1465	9893
19	Basti	1902	137	135	2174	405	7	22	434	2608
20	Bulandshahar	8455	6808	6311	21574	1776	1193	1192	4161	25735
21	Chandauli	1601	110	97	1808	112	5	6	123	1931
22	Chitrakoot	657	11	35	703	84	4	2	90	793
23	Deoria	4927	164	614	5705	942	17	43	1002	6707
24	Etah	9809	87	96	9992	1260	11	5	1276	11268
25	Etawah	6517	122	221	6860	1236	11	28	1275	8135
26	Ayodhya	4467	265	265	4997	1224	33	40	1297	6294
27	Fatehgarh	7241	74	115	7430	1687	12	13	1712	9142
28	Fatehpur	5263	357	269	5889	652	33	42	727	6616
29	Firozabad	5298	115	139	5552	1030	15	22	1067	6619
30	GB Nagar	6172	395	1719	8286	609	84	199	892	9178
31	Ghaziabad	3793	328	1528	5649	750	84	369	1203	6852
32	Ghaziipur	25362	722	390	26474	2926	48	45	3019	29493
33	Gonda	2267	76	124	2467	489	15	13	517	2984
34	Gorakhpur	3704	640	1523	5867	782	38	167	987	6854
35	Hamirpur	1385	42	111	1538	229	7	14	250	1788
36	Hapur	3630	101	217	3948	910	8	11	929	4877
37	Hardoi	3776	151	215	4142	920	47	24	991	5133
38	Hathras	5978	80	72	6130	1002	6	9	1017	7147
39	Jalaun	3538	58	84	3680	714	7	7	728	4408
40	Jaunpur	2229	338	252	2819	214	21	91	326	3145
41	Jhansi	1689	57	161	1907	403	2	5	410	2317
42	Kannauj	4325	43	115	4483	1303	12	20	1335	5818
43	Kanpur Dehat	4401	184	273	4858	697	8	25	730	5588
44	Kanpur Nagar	5794	402	5483	11679	862	41	685	1588	13267
45	Kasganj	450	20	32	502	85	0	0	85	587
46	Kaushambi	942	37	113	1092	114	2	21	137	1229
47	Kheri	1983	12	42	2037	53	1	2	56	2093
48	Kushinagar	8907	93	70	9070	451	47	32	530	9600
49	Lalitpur	144	1	14	159	24	0	0	24	183
50	Lucknow	17427	4040	3356	24823	1909	340	261	2510	27333
51	Maharajganj	892	70	70	1032	208	20	19	247	1279

51	Maharajganj	892	70	70	1032	208	20	19	247	1279
52	Mahoba	276	8	25	309	50	0	3	53	362
53	Mainpuri	12501	39	43	12583	6407	8	5	6420	19003
54	Mathura	8184	217	319	8720	1320	13	17	1350	10070
55	Mau	3588	364	385	4337	381	24	34	439	4776
56	Meerut	10896	557	752	12205	1988	42	63	2093	14298
57	Mirzapur	1320	93	143	1556	115	2	5	122	1678
58	Moradabad	1084	56	62	1202	550	5	10	565	1767
59	Muzaffarnagar	3231	86	577	3894	504	59	67	630	4524
60	Pilibhit	1025	86	112	1223	503	34	104	641	1864
61	Pratapgarh	6385	254	490	7129	806	18	69	893	8022
62	Rampur	1547	28	20	1595	811	6	6	823	2418
63	Raibareli	5228	707	778	6713	1033	161	168	1362	8075
64	Sant kabir nagar	672	38	91	801	127	8	6	141	942
65	saharanpur	2619	143	662	3424	654	17	66	737	4161
66	Sambhal	774	31	34	839	337	3	6	346	1185
67	Shahjahanpur	2342	62	70	2474	781	10	10	801	3275
68	Shamli	2752	47	222	3021	218	6	24	248	3269
69	Siddharthnagar	496	45	62	603	155	6	6	167	770
70	Sitapur	1086	20	76	1182	224	10	17	251	1433
71	Sonbhadra	233	13	25	271	7	0	0	7	278
72	Shravasti	126	1	5	132	27	0	0	27	159
73	Sultanpur	5175	146	382	5703	1602	76	76	1754	7457
74	Unnao	2652	161	518	3331	624	4	46	674	4005
75	Varanasi	4870	588	777	6235	496	44	73	613	6848
	Grand Total	314741	24269	39088	378098	58159	3223	5748	67130	445228

HELPFUL WEB LINKS

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. www.indianarmy.nic.in 2. www.defencenews.nic.in 3. www.joinindianarmy.nic.in 4. www.indiannavy.nic.in 5. www.joinindiannavy.nic.in 6. www.nausena-bharti-nic.in>career 7. www.careerairforce.nic.in 8. www.bharat-rakashak.com 9. www.joinindiancostguard.nic.in 10. www.echs.gov.in 11. www.pcdapension.nic.in | <ol style="list-style-type: none"> 12. www.dpdopensioners.org 13. www.pensionersportal.gov.in 14. www.desw.gov.in 15. www.7thpcnews.in 16. www.7thpaycommisionnews.com 17. www.upsc.gov.in 18. www.up.gov.in 19. www.up.nic.in 20. www.upcmo.up.nic.in 21. www.upcmo.up.nic.in>lok-sikayat |
|---|---|

*** जय हिन्द ***

वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के वीर शहीद

क्रम सं०	जनपद	नं०, रैंक	नाम	रेजीमेंट / कोर	शहीद होने की तिथि	आश्रित का नाम व पता
1.	गाजियाबाद	आईसी-77083 डब्ल्यू मेजर	निशीत डोगरा	आर्म्ड कार्प्स	09.02.2019	श्रीमती निकिता कुमारिया (पत्नी) बी-1402, कृष्णा अपार्टमेंट, इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद
2.	मेरठ	2708496 एन सिपाही	अजय कुमार	ग्रेनेडियर्स	18.02.2019	श्रीमती प्रियंका (पत्नी) ग्राम-बस्तीकरी, पोस्ट-निवासी, मेरठ
3.	वाराणसी	913498 टी सार्जेंट	विशाल कुमार पाण्डेय	एयरफोर्स	27.02.2019	श्रीमती माधवी पाण्डेय (पत्नी) एस-109-15 के हुकुलगंज, वाराणसी
4.	मथुरा	958410 बी कारपोरल	पंकज कुमार	एयरफोर्स	27.02.2019	श्रीमती मेघा चौधरी (पत्नी) 105, सारंग विहार, बालाजीपरम्, मथुरा
5.	कानपुर नगर	कारपोरल	दीपक पाण्डेय	एयरफोर्स	27.02.2019	श्री राम प्रकाश (पिता) 404, मंगल विहार-2, न्यू पीएसी लाइन, कानपुर नगर
6.	सहारनपुर	3011226 एन नायक	अरुण कुमार	पैराशूट रेजीमेंट	11.04.2019	श्रीमती राखी (पत्नी) ग्राम व पोस्ट-रनखण्डी तहसील-देवबन्द, सहारनपुर
7.	गाजीपुर	मेजर	विकास सिंह	57 आरआर	14.04.2019	श्रीमती अंचल सिंह (पत्नी) ग्राम तारीघाट तहसील-सुहवल, गाजीपुर
8.	गाजीपुर	15753008 एम सिग्नलमैन	विजय यादव	सिग्नल रेजीमेंट	22.04.2019	श्रीमती कमला देवी (माता) ग्राम व पोस्ट-जीवपुर, गाजीपुर
9.	कानपुर देहात	3012688 एम सिपाही	रोहित कुमार यादव	44आरआर	16.05.2019	श्रीमती वैष्णवी यादव (पत्नी) ग्राम-दीरवापुर पोस्ट-डेरापुर, कानपुर देहात
10.	मेरठ	आईसी-77478 एक्स मेजर	केतन शर्मा	19आरआर / इंजीनियर रेजीमेंट	17.06.2019	श्रीमती इरा मन्दर शर्मा (पत्नी) एम-4रु30 श्रद्धापुरी फेस'1 कंकरखेड़ा, मेरठ
11.	मथुरा	3209173 एल सिपाही	रामबीर	34आरआर / जाट रेजीमेंट	02.08.2019	श्रीमती नीतू (पत्नी) ग्राम-हुलवाना छाता, मथुरा

NAIK CHATTA SINGH, VC (1886 – 28 MARCH 1961)

WAS AN INDIAN RECIPIENT OF THE VICTORIA CROSS,
THE HIGHEST AND MOST PRESTIGIOUS AWARD FOR
GALLANTRY IN MESOPOTAMIA ON 13 JUNE 1916.

हम उत्तर प्रदेश के इन वीर सपूतों को शत्-शत् नमन करते हैं।



VETERAN



WHO IS A VETERAN ?

A VETERAN IS SOMEONE WHO AT ONE POINT IN HIS LIFE WROTE A BLANK CHEQUE PAYABLE TO " HIS NATION" FOR AN AMOUNT UP TO & INCLUDING HIS LIFE. HIS OATH OF ENLISTMENT HAS NO EXPIRATION DATE

DIRECTORATE OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT

Cariappa Bhawan, Kaisarbagh, Lucknow-226001
Website : <http://skpn.up.nic.in>
E-mail : dirskpnl-up@nic.in
Contact : 0522-2623909, 2611150, Fax : 0522-2625354

maheshwari & sons
maheshwari@skpn.nic.in
Lucknow (0522) 4071816